श्री जगजीवन राम और उनके विचार

प्रकाशक
जगजीवनराम अभिनन्दन ग्रन्थ समिति,
नई दिल्ली

१९५५ ई०

मूल्य
१)

मुद्रक
क्रॉनिकल प्रस
मोरीगेट दिल्ली

क्रम

My heart goes out in respectful admiration to Jagjivan Ram for his having emerged the purest gold out of fire.

Mahatma Gandhi

तुम न सके धरती-धन-धाम
धन्य तुम्हारा पावन नाम ।
लेकर तुम-सा लक्ष ललाम,
सफल काम जग-जीवन-राम ।

मैथिलीशरण गुप्त

श्री जगजीवन राम प्रशस्ति

सदा हास्यसमायुक्तो रामोऽयं जगजीवनः
सदा जनेषु संयुक्तो यथा वैदेहि जीवन ॥

सर्वेषु समदृष्टिर्यो निर्गर्वित्वाज्जनप्रियः
सर्वलोकहितस्यार्थे सर्वत्यागोऽस्य निश्चयः ॥

अल्पभाषी महायत्नो मृदुवाक् सरलः शुचिः
वपुःप्रकर्षसम्पन्नो यस्यास्ति हृदयं मृदु ॥

ददातु भगवानस्मै दीर्घायुश्च यशःश्रियम्
दद्यात्कल्याणकार्येषु मग्नाय शरदां शत ॥

इयं माला सुमित्राय भारतीकुसुमगुम्फिता
दत्तात्रेयेण सप्रेम सादरं च समर्पिता ॥

दत्तात्रेय परशुराम करमारकर
(वाणिज्य मंत्री भारत सरकार)

जगजीवन राम

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

छब्बीस-सत्ताईस वर्ष हुए जब मैंने पहले-पहल श्री जगजीवनराम से परिचय किया। उस समय वह हाल ही में कालेज छोड़कर आये थे और पटने में कुछ सार्वजनिक सेवा के काम में दिलचस्पी ले रहे थे। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि अनेकानेक होनहार युवक मुझसे मिला करते हैं और अपने काम और भविष्य के सम्बन्ध में सलाह लिया करते हैं। श्री जगजीवनराम से जब मौका आया था इसी तरह की बातें हुई थीं और मैंने उसी समय देख लिया कि वह एक लगन वाले होनहार, काम करने वाले व्यक्ति हैं। उसके बाद वह आहिस्ता-आहिस्ता कांग्रेस के काम में आ जुटे और जब समय आया तो औरों के साथ जेल-यात्रा भी करते गये। जब १९३७ में देश में पहले-पहल कांग्रेस मन्त्रि-मंडल बनाने की बात चली और महात्मा जी ने यह शर्त लगाई कि अगर गवर्नर यह वचन दे दें कि वह मन्त्रियों की राय से ही सब काम किया करेंगे तब कांग्रेस मन्त्रिमंडल बना सकेगी तब पहले शुरू में सभी गवर्नरों ने इस तरह का वचन देना नामंजूर कर दिया। उस समय अनेक प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत था। इसलिए कोई मन्त्रिमंडल वैधानिक रीति से जिसको कांग्रेस के सदस्यों का समर्थन न हो बन नहीं सकता था। तो भी गवर्नमेंट की नीति के अनुसार गवर्नरों ने प्रयत्न किया कि सभी जगहों में किसी न किसी तरह मन्त्रिमंडल बन जाय। ऐसा ही प्रयत्न बिहार में भी किया गया और कुछ दिनों के लिए श्री यूनिस ने मन्त्रि-मंडल बनाया। उस समय श्री जगजीवनराम वहाँ की धारासभा के एक सदस्य चुने गये थे और श्री यूनिस ने इस बात का बहुत प्रयत्न किया कि उनको किसी तरह से फोड़ करके अपने मन्त्रिमंडल में ले लें और उनके साथ जो हरिजन सदस्य थे उनकी सहायता भी प्राप्त कर लें। पर श्रीजगजीवनराम ने एक बारगी इस चीज को नामंजूर कर दिया और उनके दिये हुए मन्त्री पद को ठुकरा दिया। यह बात मुझको मालूम हो गई और मैंने उसी समय महात्मा गांधी को इस बात की सूचना दी थी जिससे वह बहुत प्रसन्न हुए थे और जिसका जहाँ तक मुझे स्मरण है उन्होंने अपने किसी लेख में भी जिक्र किया था। इस घटना के बाद जो मेरी श्रद्धा और प्रेम श्री जगजीवनराम के प्रति था वह और भी बढ़ गया और मैंने देख लिया कि वह लगन वाले और काम करने वाले ही नहीं हैं पर समय पर त्याग करने में भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। उसके बाद वह जहाँ तक मुझे स्मरण है बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में शरीक हुए और जब कुछ दिनों के बाद कांग्रेस ने मन्त्रिमंडल बनाया तो उनको पार्लिया-

जगजीवन राम

डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद

उन्नीस-बीस वर्ष हुए जब मैंने पहले-पहल श्री जगजीवनराम से परिचय किया। उस समय वह हाल ही में कालेज छोड़कर आये थे और पटने में कुछ सार्वजनिक सेवा के काम में दिलचस्पी ले रहे थे। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि अनेकानेक होनहार युवक मुझसे मिला करते हैं और अपने काम और भविष्य के सम्बन्ध में सलाह लिया करते हैं। श्री जगजीवनराम से जब मौका आया था इसी तरह की बात हुई थी और मैंने उसी समय देख लिया कि वह एक लगन वाले होनहार काम करने वाले व्यक्ति हैं। उसके बाद वह आहिस्ता-आहिस्ता कांग्रेस के काम में आ जुटे और जब समय आया तो औरों के साथ जेल-यात्रा भी करते गए। जब १९३७ में देश में पहले-पहल कांग्रेस मन्त्रि-मंडल बनाने की बात चली और महात्मा जी ने यह शर्त लगाई कि अगर गवर्नर यह वचन दे दें कि वह मन्त्रियों की राय से ही सब काम किया करेंगे तब कांग्रेस मन्त्रिमंडल बना सकेगी तब पहले शुरू में सभी गवर्नरों ने इस तरह का वचन देना नामंजूर कर दिया। इस समय अनेक प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत था। इसलिए कोई मन्त्रिमंडल वैधानिक रीति से जिसको कांग्रेस के सदस्यों का समर्थन न हो बन नहीं सकता था। तो भी गवर्नमेंट की नीति के अनुसार गवर्नरों ने प्रयत्न किया कि सभी जगहों में किसी न किसी तरह मन्त्रिमंडल बन जावे। ऐसा ही प्रयत्न बिहार में भी किया गया और कुछ दिनों के लिए श्री यूनिस ने मन्त्रि-मंडल बनाया। उस समय श्री जगजीवनराम धारासभा के एक सदस्य चुने गए थे और श्री यूनिस ने इस बात का बहुत प्रयत्न किया कि उनको किसी तरह से फोड़ कर अपने मन्त्रिमंडल में ले लें और उनके साथ जो हरिजन सदस्य थे उनकी सहायता भी प्राप्त कर लें। पर श्री जगजीवनराम ने एक बारगी इस चीज को नामंजूर कर दिया और उनके दिये हुए मन्त्री पद को ठुकरा दिया। यह बात मुझको मालूम हो गई और मैंने उसी समय महात्मा गांधी को इस बात की सूचना दी थी जिससे वह बहुत प्रसन्न हुए थे और जिसका जहाँ तक मुझे स्मरण है उन्होंने अपने किसी लेख में भी ज़िक्र किया था। इस घटना के बाद जो मेरी श्रद्धा और प्रेम श्री जगजीवनराम के प्रति था वह और भी बढ़ गया और मैंने समझ लिया कि वह लगन वाले और काम करने वाले ही नहीं हैं पर समय पर त्याग करने में भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। उसके बाद वह जहाँ तक मुझे स्मरण है बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में शरीक हुए और जब कुछ दिनों के बाद कांग्रेस ने मन्त्रिमंडल बनाया तो उनको पार्लिया-

मेंटरी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। उस पद पर रहकर उन्होंने अपनी जवाबदेही और काम को खूब अच्छी तरह से संभाला जिसकी प्रशंसा उस समय के सभी लोग किया करते थे। उनका सम्बन्ध कांग्रेस और कांग्रेस-कर्मियों के साथ दिन प्रतिदिन अधिक घनिष्ठ होता गया और १९४१ में फिर जब महात्मा जी का महान् आन्दोलन शुरू हुआ उसमें उन्होंने यथोचित भाग लिया। १९४६ में जब केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कांग्रेस ने शरीक होने का निश्चय किया तो उसमें स्वभावतः ख्याल उनकी ओर गया और उनको स्थान मिला। अवस्था उनकी कम थी। तो भी श्रम विभाग उन्होंने अच्छी तरह खूबी के साथ संभाला। पिछले पांच वर्षों में वह इस विभाग के मन्त्री रहे हैं और इस पद से उन्होंने श्रमजीवियों की स्थिति को सुधारने के लिए जो काम किया है वह केवल भारत सरकार की कानून की किताबों में दर्ज कानूनों से ही मालूम नहीं होता पर जिस तरह उनकी अवस्था सुधरी है वह देखने से ही उसका पता पूरी तरह से चल सकता है। अनुभव काफी उन्होंने इस बीच में प्राप्त कर लिया है और अपने विषय में उन्होंने अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया है। सादा जीवन है। काम करने की लगन है श्रम से नहीं डरते और जो ठीक समझते हैं उसका साहस और करने में नहीं हिचकते। जब कोई चीज सामने आती है तो उस पर हर पहलू से विचार करके ही कोई राय कायम करते हैं और विचार निश्चित कर लेने पर जल्द उससे डिगते नहीं। मेरा उनसे सम्पर्क और अधिक दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होता गया और मैं आशा रखता हूं कि उनका भविष्य और अधिक उज्ज्वल होगा। अभी उनकी अवस्था कम ही कही जा सकती है और इसलिए काम का क्षेत्र और काम करने का समय और शक्ति भी उनके सामने बहुत है। और हमारी यही सद्भावना और सदिच्छा है कि वह समय और शक्ति को देश की सेवा में उसी तत्परता से लगायेंगे जिस तत्परता से उन्होंने आज तक काम किया है और अपने काम में सफल होते गये हैं।

राष्ट्र पुरुष जगजीवन राम

श्री काका साहेब कालेलकर

हमारे देश में उपेक्षित जातियों का सवाल अत्यन्त पुराना है। इस सवाल का हल करने की कोशिश प्राचीन काल से होती आई है। विश्वामित्र और श्री रामचन्द्र जी के समय से कोशिशें होती आई हैं। पचतन्त्र और कथा सरित्‌-सागर जैसी कथाओं में भी भील आदि अनेक अन्य जातियों का जिक्र आता है। इन लोगों की ईश्वरनिष्ठा, भूमि निष्ठा और स्वामिनिष्ठा उच्चकोटि की पाई गई है। सन्तों ने इनके बीच हमेशा काम किया है और इन जातियों में अच्छे-अच्छे सन्त भी तैयार हुए हैं। जहाँ-जहाँ बलिदान के द्वारा भूमिनिष्ठा सिद्ध करने के अवसर पैदा हुए, वहाँ-वहाँ इन जातियों का गौरव युक्त उल्लेख आया ही है।

इतना होते हुए भी ये सब जातियाँ देश के विराट समाज में पूरी-पूरी घुल-मिल गई हैं। इनकी अन्य संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से और उपेक्षा के कारण भी इनको हमेशा दूर ही रखा गया। सामाजिक वहमों (Prejudices) के कारण इन जातियों के प्रति बहुत अन्याय हुआ है।

ऐसे अन्यायों का परिमार्जन करना और इन जातियों के विकास में विघ्नरूप जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें दूर करना और इन्हें पूर्णतया अपनाना आज का युगधर्म है।

भारतीयों की सामाजिक कमजोरियों को बराबर और तुरन्त पहचानने वाले और उससे लाभ उठाने वाले अंग्रेजों ने हमें बताया कि सामाजिक अन्याय दूर करने का काम आहिस्ता-आहिस्ता नहीं हो सकता। जलते घर की आग बुझाने का काम पचास वर्ष की योजना बनाकर हम नहीं कर सकते। वैष्णवों ने बौद्धों ने और जैनों ने इन लोगों के बीच जो काम किया था वही दूसरे ढंग और दूसरे उद्देश्य से इस्लाम ने और ईसाई धर्म ने भी कर देखा।

आज के युग में वही कार्य हम लोग सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में कर रहे हैं।

सन्तों का काम सबसे अच्छा इसलिए गिना जाता है कि उनके प्रयत्न से इन उपेक्षित जातियों में श्रेष्ठ कोटि के सन्त पैदा हुए। हमारा इस युग का कार्य भी तभी अच्छा गिना जायगा जब इन उपेक्षित जातियों में से सारे देश का सवाल करने वाले नेता तैयार होंगे। इतना ही नहीं किन्तु समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अपनी आयु अर्पण करेंगे।

आजकल उपेक्षित जातियों में इस तरह के नेता पैदा होते हैं, और मैं मानता हूँ

दोनों के लिए योग्य कारण भी है और दोनों की उपयोगिता भी है। लेकिन दोनों की कोटि भिन्न है।

जिस रूढ़ि के कारण और गलत सामाजिक आदर्श के कारण इन उपेक्षितों के प्रति अन्याय होता रहा उस रूढ़ि के खिलाफ और उसके समर्थकों के खिलाफ लड़ने का काम न्यायनिष्ठ सुधारक सवर्णों का भी है और उपेक्षित जातियों के स्वाभाविक नेताओं का भी है। ऐसे लोग लड़ते-लड़ते इतने कड़वे बन जाते हैं कि मनुष्य जाति पर उनका विश्वास ही नष्ट हो जाता है। सवर्णों के साथ लड़ना चाहिए, उनको परास्त करना चाहिए। उनके हाथों न्याय मिलने की आशा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। जहां जहां अधिकार हो अपनी जाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसी पर भी भरोसा रखना बेवकूफी है। दुनिया के सब लोग अपने स्वार्थ की ही बात सोचते हैं। हमें भी वैसा ही करना चाहिए। अपनी जाति का संगठन करके और जातियों से लड़ते रहना कभी भी उदारता नहीं दिखाना और हमेशा जागरूक रहना यही हमारा कर्तव्य है। यह है ऐसे लोगों की जीवन दृष्टि।

दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं कि रूढ़िवादी सब हिन्दू लोगों की स्वार्थवृत्ति हम जानते हैं। अपने अधिकार की रक्षा के लिए ऐसे लोगों से लड़ना चाहिए यह भी हमें मंजूर है। लेकिन हम जानते हैं कि सारा समाज ऐसे लोगों का बना हुआ नहीं है। सवर्णों में और सब वर्ण के लोगों में ऐसे भी लोग हैं जो हमारे प्रति न्याय करने के लिए औरों से लड़ते रहते हैं। उनमें न्यायनिष्ठा है उदारता है। स्वार्थ को भूलकर दूसरों के हित के लिए वे हमेशा कोशिश करते रहते हैं। परस्पर अविश्वास के कारण राष्ट्रीय संगठन अगर कमजोर हुआ तो सबका नाश होने वाला है। इसलिए अपने और अपनी जाति के स्वार्थ का त्याग करके सब एक बन जाना। अविश्वास का वायुमंडल बढ़ाना और राष्ट्रीय एकता खतरे में डालना राष्ट्रद्रोह होगा। जिन लोगों ने उपेक्षितों की ओर देखा उनकी सेवा के लिए अपना स्वार्थ छोड़ दिया और परोपकार में ही जीवन की सफलता पाई उन लोगों का ही अनुकरण हम क्यों न करें? हमसे भी अधिक उपेक्षित और अधिक दुःखी जनता यहां न वहां जरूर होगी उनकी सेवा का हम क्यों न सोचें? और भूतकाल के अन्याय का ध्यान मन से हटाकर भविष्य काल के लिए सर्वसेवा का आदर्श हम क्यों न ग्रहण करें? सारे राष्ट्र के हित के लिए प्रयत्न करने में अपना और अपनी जाति का जो कुछ भी स्वार्थ नष्ट हो जाए उसी में संतोष क्यों न मानें? मनुष्य जाति के विकास का विश्वास रखकर भविष्यनिष्ठ लोगों की जमात में हम क्यों न शरीक हो जाएं? यह है दूसरे किस्म के लोगों की जीवन दृष्टि।

मैंने देख लिया है कि माननीय श्री जगजीवन राम दूसरी कोटि के राष्ट्रपुरुष हैं। इसीलिए मेरे जैसे अनेक लोगों के मन में उनके प्रति आदर है। और इसीलिए हम उनका अभिनन्दन करने प्रवृत्त हुए हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और आरोग्य दे। और उनका अनुकरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती देखने का परम संतोष उन्हें प्राप्त हो।

व्यक्तित्व

जिस चेहरे पर जंगली फूल के निर्मल नैसर्गिक भोलेपन से भरे हुए सौन्दर्य की झलक है, ग्रामीणों की सिधाई है और दुनिया की रंगीन जातियों की कष्ट साधना की मानवीय करुणा प्रतिबिम्बित होती है वह हमारे देश के राष्ट्रीय जागरण के युग में पैदा होने वाले असाधारण व्यक्तित्व का चेहरा है। उसकी सिधाई, भोलेपन और मानवीय करुणा के बीच दो पैनी दृष्टियाँ असाधारण योग्यता का प्रतीक हैं जैसे रंगीन जातियों के चेहरों में उनकी आँखों की भाषा ही उनकी योग्यता का बखान करती है ठीक वैसी ही इस चेहरे की विशेषता है। व्यक्तित्व में चेहरा और आँखें ही व्यक्तित्व के गुणों को उजागर करते हैं।

जगजीवनराम का व्यक्तित्व उनके चेहरे में बोलता है। उनकी मिलनसारिता उनकी सचाई और ईमानदारी और सबसे बड़ी उनकी इन्सान परस्ती—सभी उनके चेहरे की रेखाओं में लिपिबद्ध हैं। इस व्यक्तित्व की कुछ झाकियाँ देखिए फिर चेहरे की रेखाओं से मिलाइए

* * *

बिहार का एक गाँव। छः-सात साल का अबोध बालक हाथ में डंडा लिए ऊँचे से पेड़ की चोटी पर मुँह फुलाए बैठा है। वह सोच रहा है 'मुझे गुरु जी ने निरपराध क्यों पीटा? मैं अब इस पाठशाला में नहीं पढ़ूंगा। ऐसी पाठशाला में जो भी मुझे पढ़ने के लिए कहेगा उसकी इसी डंडे से मरम्मत करूँगा।

* * *

हाई स्कूल में दाखिल होने का प्रार्थी एक अछूत छात्र। मास्टर कहता है दरखास्त दो अछूत होने के नाते तुम्हारी फीस माफ हो जायगी। किन्तु वह दरख्वास्त नहीं देता है बल्कि परीक्षा में अपनी असाधारण योग्यता दिखाकर फीस माफ कराता है।

* * *

वरुण की जल-सेना का आक्रमण। सारा गाँव जलमग्न है। खेती बाड़ी डूब गयी है जानवर बहे जा रहे हैं और मिट्टी के बने घरों की दीवारें भी विचलित होकर जमीन चूम रही हैं। पन्द्रह साल का एक लड़का रात में जल सेना के इस आक्रमण से अपने घर के सामान की रक्षा कर रहा है। उसने सब सामान बचा लिया किन्तु अपने भाई के भेंट किए हुए ५० रु० तो अभी जमीन में ही दबे थे। वह अभिमन्यु की तरह जल के चक्रव्यूह में कूद कर अपनी इस प्रिय भेंट को निकाल लाया। देखने वाले दंग हैं!

कस्बे के हाई स्कूल का वार्षिकोत्सव। दकियानूसी धर्म का वातावरण। हिन्दू धर्म के नेता मालवीय जी पधारे हैं। सवर्ण स्वाभिमान से फूले नहीं समा रहे हैं और दलित जाति के लोग एक हीन भावना से इस गौरव मण्डित दृश्य को देख रहे हैं कि एक अछूत छात्र ने जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था एक भावपूर्ण लेख पढ़कर सुनाया। लोग चौंके कि मालवीय जी ने उसे अपने बगल में बैठा लिया है। गाँव के सवर्ण इस होनहार अछूत की प्रतिभा से चकित होकर उसकी माँ से कहते हैं। 'तोहार बबुआ मदन जैसन बड़ा आदमी बनिहन। पण्डित मदन मोहन मालवीय सहज स बाबी बोलो के मालवीय जी अपना मेरो बोला के न बैठौलन्ह तोहरा बबुआ के अपना पास बोला के बैठा लेहलन।' माँ यह सुनकर हर्ष से फूली न समाई।

* * *

सन् १९४७ की तेज गर्मी। कमरा के आसपास का भाप-सा तपाता हुआ रेगिस्तान। ज्वालामुखी के उच्छ्वास की तरह गरम हवा। जमीन पर चल-चले बरती की धानि गिरा हुआ हवाई जहाज। रात का भाय-भाय करता हुआ सन्नाटा। और इस बीहड़ निर्जनता में पड़ा हुआ घायल हवाई यात्री जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम सम्मेलन का भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेता भी पड़ा कराह रहा है। दुनिया में तार खटक गए। भारत में आशा-निराशा का द्वन्द्व मच गया। क्योंकि यह व्यक्ति भारत के श्रम मन्त्री जगजीवन राम ही थे—जो स्वाभिमान और ईश्वर में अखण्ड विश्वास के कारण मौत पर भी विजय प्राप्त कर सके। इस पुनर्जन्म ने उनकी माँ के वात्सल्य को गौरव शाली बनाने वाले व्यक्तित्व की रक्षा की— इसे वह और इनकी परम आस्तिक माँ ईश्वर का चमत्कार ही मानते हैं। है भी चमत्कार।

व्यक्तित्व की ये सब प्रक्रिया उनके चेहरे की रेखाओं में साकार हो उठती है उस स्वाभिमानी बालक की मानो जो बैंच की चोटी पर डंडा लेकर बैठा था और जिसने अछूत होने के नाते फीस माफ करने की दया की भीख नहीं माँगी। उस साहसी बालक की निर्भीकता जो भयंकर बाढ़ में भी प्रेम की भेंट की रक्षा के लिए कूद पड़ा और उस प्रतिभाशाली छात्र की गम्भीरता जिससे मालवीय जी प्रभावित हुए थे—इस चेहरे में सभी विगलित होकर सजीव हो उठे हैं।

अपने छात्र जीवन से लेकर जेनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तक और म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य से भारतीय धारा सभा की सदस्यता की सीढ़ियों को पार करते हुए भारत के श्रम और संचार मन्त्रित्व तक उनके जीवन का विकास एक रचनात्मक क्रान्तिकारी का विकास है। राष्ट्रीय स्वाधीनता के संग्राम में एक सिपाही दलित जाति के एक विद्रोही नेता और भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखने वाले महात्मा गांधी और नेहरू के पदगामी के रूप में वह राष्ट्रीय जीवन की अविरल एकता के प्रभावशाली प्रतिनिधि हैं।

उन्होंने सवर्णों के अत्याचारों से पीड़ित जातियों का पक्ष लेकर कभी जातिक प्रतिक्रिया का परिचय नहीं दिया और न कभी जातीय असंतोष की भावना से उन प्रतिक्रियावादी तत्त्वों का साथ दिया जो भारत के स्वाधीनता संग्राम के दिनों जाति-पीड़न के नाम पर एक वर्ग-संघर्ष पैदा करना चाहती थी और गांधी जी के हरिजन आन्दोलन का विरोध करती थी। इस प्रकार उन्होंने पीड़ित जातियों के दुर्दशा के उद्धार की बात सोचते हुए भी और सवर्णों की आलोचना करते हुए भी कभी साम्राज्यवादियों का साथ नहीं दिया। बल्कि साम्राज्य के समर्थकों की ओर से लालच देने पर उन्होंने एक देशभक्त स्वाभिमानी की तरह कहा 'मैं देशद्रोही नहीं बनना चाहता।

इसके साथ ही उन्होंने सदा दलितों और शोषितों का पक्ष लिया और उनकी दुर्दशा के सही सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझा। उन्होंने कहा

'यदि हिन्दू समाज के ढांचे के अन्तर्गत वाल्मीकि, रैदासी या अन्य हरिजन नीच समझे जाते हैं तो यह उनका अपना दोष नहीं बल्कि ऊंची जाति वालों का दोष है। यह एक सामाजिक व्याधि है।

'भंगियों की मुक्ति इसी में है कि ऐसे समाज का निर्माण किया जाय जिसमें कि कोई मेहतर न हो।

'आर्थिक कारणों से सामाजिक ढांचा टूटता जा रहा है और उच्च जाति के लोगों ने नाई, धोबी तथा मोची के पेशे तक को संभालना शुरू कर दिया है किन्तु उनमें से किसी ने भंगी का पेशा अपनाने का साहस नहीं किया।

'अस्पृश्यता की समस्या आर्थिक है इसलिए इसे उसी विशेष दृष्टिकोण से सुलझाना चाहिए।

इस प्रकार सवर्णों के आर्थिक कशाघात से पीड़ित जाति में जन्म लेने वाला गांव की गुदड़ी का एक लाल आजाद भारत का पहला श्रम मन्त्री बना पश्चात् संचार मंत्री।

जगजीवनराम के व्यक्तित्व की ये झांकियां देखकर भारत के उन सन्तों के व्यक्तित्व की तस्वीर सामने आने लगती है जिन्होंने दलित जातियों के अछूत-घर में जन्म लेकर भी भारत की संस्कृति और साहित्य का नेतृत्व किया। और जिनके व्यक्तित्व के हिमालय जैसे गौरव के सामने सवर्णों का मिथ्याभिमान बौना-सा प्रतीत होता है। इन सन्तों ने अपनी लोक मंगल की मानवतावादी कामना से साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो निर्माणकारी काम किया वही काम श्री जगजीवनराम ने भारत के वर्तमान राष्ट्रीय जागरण के राजनीतिक क्षेत्र में किया और जैसे वे सन्त अपने गुण-कर्म-स्वभाव की योग्यता से अछूत होने पर भी सन्त और सब वर्णों के लिए पूज्य बन गये थे उसी प्रकार आपका व्यक्तित्व भी सर्वप्रिय बन गया।

यह इसलिए नहीं कि आपकी राजनीतिक उपलब्धियां अधिक हैं बल्कि इन

लिए कि आप एक बड़े इन्सान हैं। इन्सानियत के बड़प्पन की ये सफलताएँ बाहरी रूप हैं— जो किसी क्षण मिट सकती हैं और बदल सकती हैं। किन्तु आदमी की आदमियत उसके मरने के बाद भी अमिट रहती है। आदमी सफलताओं से बड़ा होता है। जो आदमी सफलताओं के सिंहासन पर बैठकर आदमियत की सार्वभौम गद्दी से नीचे गिर जाता है वह सफलताओं से बड़ा और असफलताओं से छोटा बनता है। किन्तु जगजीवनराम का व्यक्तित्व उस आदमियत को बताती है जो सफलताओं के सिंहासन पर बैठकर भी इन्सानियत की सार्वभौम गद्दी से नीचे नहीं उतरा। जब भी उसे ऐसा धर्म-संकट दिखाई दिया उसने सफलताओं के सिंहासनों को त्याग दिया किन्तु फिर भी वह एक बड़ा आदमी बना रहा क्योंकि उसने अपने में जीवित रहने वाले इन्सान की सदा आशा मानी। उनका कहना है "मैं तो सिर्फ मनुष्य मात्र के गुणों पर विश्वास करता हूँ।" इसीलिए वह व्यक्ति के सुधार में विश्वास रखते हैं और उनका सूत्र है "वैयक्तिक सुधार गांधी वाद का सार है।"

जनसाधारण की चिन्ता ही व्यक्ति की चिन्ता है। राजनैतिक स्वाधीनता के इस युग में अनेक नेता जनता की स्वाधीनता की चिन्ता से मुक्त हो गये से प्रतीत होते हैं और राष्ट्रीय आन्दोलन के उत्थान में उन्होंने जिस त्याग का परिचय दिया था उसे आज भूल गए हैं किन्तु बाबू आज भी यह सोचते हैं

"जो आजादी आज हमारे पास है उसे हम असली आजादी नहीं कह सकते क्योंकि यह केवल राजनैतिक आजादी है। जनता के लिए यह कोई अर्थ नहीं रखती। जब तक कि उसके रहन-सहन के स्तर को ऊपर नहीं उठाया जाता, उसकी गरीबी, उचित भोजन, वस्त्र तथा मकान की समस्याओं को हल नहीं किया जाता, जब तक शोषण, अन्याय तथा अत्याचार चाहे किसी भी स्वरूप में हों, भूतकाल की वस्तुएँ नहीं बन जाते और जब तक कि उस सब तरह की उन्नति के लिए सभी आवश्यक अवसर नहीं मिल जाते तब तक यह आजादी उनके लिए किसी काम की नहीं।"

उनकी कला की चीज किसी सुसज्जित बाग में नहीं लगाई जाती। वे कहीं भी पहुँचकर उस वातावरण को अपने प्रभाव से सुव्यवस्थित कर देते हैं। यह व्यक्तित्व भी एक दलित जाति में पला और आज अपनी सूझ से आदमी की सुकर्म वृत्तियों का भी सुसंगठन कर रहा है।

श्री जगजीवन राम

कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें देखते ही लगता है जैसे मातृभूमि के सच्चे प्रतिनिधि पुत्र वे हैं उनके व्यक्तित्व में धरती की विराटता बड़े यथार्थ रूप में उद्घाटित होती है। वह केवल उस धरती के पुत्र नहीं होते जो पाषाण और धूलि से बनी है, बल्कि उस वसुन्धरा की कोख की उपज होते हैं जो रत्नगर्भा है और सर्वसहा है।

श्री जगजीवनराम का व्यक्तित्व भी देखकर अथर्ववेद के उस पृथ्वी-पुत्र की कल्पना साकार हो उठती है जो कहता है भूमि मेरी मां है मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऐसे पृथ्वी-पुत्र राष्ट्रीय जीवन के कल्पवृक्ष के अमर फल होते हैं जो अपने अमृत दान से राष्ट्र को भी अमरता प्रदान करते हैं।

राष्ट्र की आत्मा जन है भूमि उसका शरीर है और संस्कृति उसका शृंगार होती है। राष्ट्र का आत्मरूप जन ही भूमि की विराटता और संस्कृति का शृंगार पाकर असाधारण व्यक्तित्व बन जाता है। राष्ट्र में जन बहुत होते हैं किन्तु राष्ट्र की आत्मा की विराट अभिव्यक्ति जिनके जीवन में मुखरित हो पाती है वे विरले ही होते हैं। राष्ट्रीय जीवन के कल्प-वृक्ष पर कभी-कभी ऐसी बहार आती है जब उसमें असाधारण व्यक्तित्वों के अमर फल अंकुरित पुष्पित और फलित होते हैं। भारत में राष्ट्रीय जागरण एक वसन्त ऋतु थी जिसमें ऐसे अमर फलों की सृष्टि हुई। श्री जगजीवनराम उन्हीं में से एक हैं।

आप राष्ट्रीय जागरण काल में गांधी रूपी वट-वृक्ष की छाया में पनपने वाले दलित जातियों की जनचेतना के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। जिस तरह डॉ॰ राजेन्द्रप्रसाद का व्यक्तित्व भारत के ठेठ किसान का-सा व्यक्तित्व है उसी प्रकार श्री जगजीवनराम भी ग्राम-देवता की विभूति हैं। यदि किसी को बताया न जाए और साधारण वेश-भूषा में जगजीवनराम जी को कोई विदेशी अपरिचित देखे तो उन्हें वह भारत का सीधा-सादा किसान समझेगा।

सादगी आपके जीवन का शृंगार है। उनकी खादी की भारतीय पोशाक में फैशन का चमत्कार नहीं होता है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जीवन बिताने वाले लोगों पर—जहाँ दुनिया के नये सिद्धान्तों का प्रभाव शीघ्र पड़ता है वहाँ बाह्याडम्बरों के चमत्कार का प्रभाव भी खूब पड़ता है किन्तु श्री जगजीवनराम सरल और बाह्य आडम्बरहीन भारतीय ग्राम-संस्कृति के प्रतीक हैं और सरलता और सादगी सदा सच्चाई और ईमानदारी की प्रतीक होती है। जिस तरह महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के सिद्धान्तों से राजनीति को नैतिक और मानवीय सच्ची और ईमानदार बनाने

का आदर्श प्रस्तुत किया उसी तरह इस आदर्श की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के अपने जीवन में भी अन्दर और बाहर—दोनों में—सच्चाई और ईमानदारी को प्रतिबिम्बित करने की प्रेरणा दी। गांधी की यह महान नैतिक प्रेरणा जिन राजनीतिक व्यक्तियों में प्रतिफलित हुई उनमें श्री जगजीवनराम का व्यक्तित्व एक महत्व रखता है।

बिहार प्रान्त के आरा जिले के एक छोटे गांव में दलित जाति की गोद में जन्म लेकर भी अपने धर्म-समाज की तमाम विषमताजन्य बाधाओं को पार करते हुए सार्वजनिक जीवन का रास्ता तय किया। दलित जाति के तमाम दुःख-दर्दों को जानते हुए और उनके तमाम कारणों के प्रति एक विद्रोह रखते हुए भी आप राष्ट्रीयता के देशभक्तिपूर्ण पथ से कभी विचलित नहीं हुए बल्कि आपने प्रतिक्रियावादी शक्तियों से संघर्ष किया और दलित जातियों में राष्ट्रीयता की भावना भरकर उन्हें उन्नत बनने एवं अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रेरणा दी। प्रतिक्रियावादी ताकतें दलित जातियों के अधिकारों की लड़ाई को राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष से अलग बताती रहीं। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम को सवर्णों का आन्दोलन बताकर इन भोले लोगों को गुमराह करती थीं। किन्तु श्री जगजीवनराम ने दलितों के अधिकारों की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या समझा और इसका निदान राष्ट्रीय समस्या का निदान माना। इसीलिए आप प्रतिक्रियावादियों के जाल में न आकर और साम्राज्यवादियों के तमाम प्रलोभन ठुकरा कर महात्मा गांधी के सत्पूर्ण मार्ग पर आगे बढ़ते रहे।

मूलतः जगजीवन राम का परिवार आरा जिले का रहने वाला नहीं। इनके दादा श्री शिवनारायण राम ने लगभग • साल पहले मऊ जिले के मुबारी ग्राम को छोड़ कर आरा जिले के [illegible] ग्राम में आकर बस गए थे। यहीं पर जगजीवन राम के पिता श्री शोभीराम का जन्म हुआ। परिवार के सब लोग आपको बाबू जी कहते थे। इस कुल की ख्याति के मूल कारण आप ही हैं।

बाबू जी के पिता जी का देहान्त इनके बचपन में ही हो गया। मां इनकी सीधी-सादी थीं। बड़े भाई थे। इनके एक दूसरा फौज में नौकर थे। मात्र [illegible] की आयु में आप अपने चाचा के साथ मुसहरी गए। वहीं रहते हुए ही आपने हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। छोटा-मोटा काम भी करते रहे। बाद में आपको सेना में ही एक नौकरी मिल गई। जिस पलटन के साथ आप काम करते थे वह दानापुर (पटना) आ गई और आप भी उसके साथ दानापुर आ गए। [illegible] में रहते थे। वहां जब आप पहली बार अपनी दादी (जिन्होंने ही इनको माता का प्यार और स्नेह दिया था) से मिलने गए तब आपने अपनी [illegible] कमाई का [illegible] दादी के आंचल में रख दिया। [illegible] दादी की आंखें प्रेम और स्नेह से चमक उठीं। उनको अनुभव हुआ कि उनके कुल का उद्धारक एक तारे [illegible] सामने खड़ा है। उनका हर्ष और आनन्द हृदय में नहीं समाया और वह [illegible] उठा और [illegible] बाबू जी भी उसमें [illegible] हो गए।

'बाबू जी' १४ साल के हो गये थे। फिर कमाने भी लगे थे। दादी की बहू देखने की इच्छा अत्यन्त प्रबल थी। बस फिर क्या था। बखला नरसवा गाँव के एक स्वजातीय कन्या 'वासन्ती' से आपका विवाह निश्चित हुआ और चार बीतते आपका विवाह भी हो गया। वासन्ती की उम्र दस साल की थी। सेना की नौकरी अभी जारी थी। परन्तु यह और पाँच साल से अधिक नहीं चली। आप स्वभाव के मानी थे। सैनिक अफसर से आपकी किसी बात पर बिगड़ गई। आप अपने को निर्दोष मानते थे और इस कारण माफी माँगने से इन्कार कर दिया और नौकरी छोड़ दी। स्वभाव की यह तेजस्विता आपके परिवार में जन्मजात है। नौकरी छोड़कर आप चन्दवा गाँव आ गए। यहीं आपकी पहली सन्तान का जन्म हुआ। बच्चे का नाम सन्तलाल रखा गया। 'बाबू जी' का इरादा अहिगाँव में अपना घर बनाकर बसने का हुआ। वहाँ मकान बना लिया गया किन्तु सन्तलाल वहाँ जाकर बीमार हो गए। यद्यपि आपके चचेरे भाई अहिगाँव में ही रहते थे और आपने भी अपने लिए वहाँ घर बनवा लिया था किन्तु पहली सन्तान का वहाँ जाकर बीमार होना अच्छा नहीं माना गया और इसको अपशकुन समझा इसके अतिरिक्त शहर से दूर होने के कारण वहाँ डॉक्टर और वैद्य की भी सुविधा समय पर न हो सकती थी। आप पुनः चंदवा गाँव आ गए। यहाँ आपने एक और घर बनवाया। यह घर इस कुटुम्ब का स्थायी घर हो गया।

बहुत दिन आपको बेकार नहीं रहना पड़ा। कलकत्ते में आपको एक स्थान मिल गया। यहाँ की कमाई से खेती के लिए गाँव में जमीन खरीदी। इसके कारण परिवार की आर्थिक अवस्था सुधर गयी। 'बाबू जी' की दूरदर्शिता एवं प्रबन्ध-कुशलता के कारण परिवार को कभी अर्थाभाव ने नहीं सताया और न कभी इस कुटुम्ब को कर्ज लेना पड़ा।

मुलतान में रहते हुए ही 'बाबू जी' ने 'शिवनारायण सम्प्रदाय' के एक महन्त से शिवनारायणी मत की दीक्षा ले ली थी। गुरु और ईश्वर पर आपकी अटूट श्रद्धा थी। व्रत पूजा और दान में अपूर्व आस्था थी। आपकी अपने गुरु शिवनारायण पर अटूट श्रद्धा थी। गुरु जी का जन्म स्थान 'चन्द्रवार' पास गाजीपुर है। वहाँ की यात्रा आपने पैदल ही की थी। जगन्नाथ जी की भी यात्रा आपने की थी। गुरु भक्ति धार्मिक प्रवृत्ति और विद्वता के कारण आप भी एक महन्त माने जाने लगे थे। आप बलि देने के विरुद्ध थे। अन्धविश्वासों झाड़-फूँक और अयुक्ति-युक्त बातों को नापसन्द करते थे। आपके प्रचार का फल यह हुआ कि अनेक लोगों ने आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण किया। आपके हजारों शिष्य आज भी बिहार में हैं। आपका स्वभाव विनम्र और दयालु था। माँगने वाला कभी आपके घर से खाली हाथ नहीं गया। जिस किसी को कुछ दिया वह सदा के लिए उसको दे दिया फिर उससे वापिस नहीं माँगा और तकाजा नहीं किया। रजाई तुलाई टोपी कुरता अचकन आदि खुद ही सेते थे। छोटे-मोटे रोगों

का इलाज भी कर लेते थे। यदि किसी गाँव वालों ने आपसे कभी किसी प्रकार की सेवा सहायता माँगी तब आपने कभी उसको देने से मुख नहीं मोड़ा। गाँव वालों की सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। गाँव का हृदय अपने व्यवहार से जीत लिया था। फलतः आपके परिवार को कभी जातियों के अत्याचार का सामना करना नहीं पड़ा। इस प्रकार के वातावरण में जगजीवन राम का पालन हुआ यह एक उल्लेखनीय बात है। इसका उनके विचारों पर भारी प्रभाव पड़ा है। शोषित वर्ग के प्रतिनिधि होने पर भी यदि आपमें उग्रता और रोष का अभाव है तो इसका कारण पिता श्री शोभी राम से मिली यह विरासत है।

चँदवा में आपकी बिरादरी के लोगों को पानी की बहुत तकलीफ थी। आपके मुहल्ले में कोई कुआँ नहीं था। इसके कारण बहुत कष्ट भोगना पड़ता था। यह देखकर 'बाबू' जी ने एक कुआँ बनवाया। कुआँ अपने घर के आँगन में न बनवाकर मुहल्ले के बीच बनवाया। परोपकार एवं आत्मत्याग की यह भावना उनके पुत्र में भी आई।

कलकत्ता में बहुत दिन रहने और नौकरी करने से जब शरीर थक गया तब 'बाबू' जी अपने गाँव आ गए। चँदवा में रहते हुए भी शिवनारायण पंथ के बहुत से ग्रन्थों को अपने हाथ से लिखा। उनकी हस्तलिपि मनोरम एवं कलापूर्ण थी।

नौकरी छोड़ने के बाद ही चँदवा गाँव में रहते हुए सात सन्तानों के बाद आठवीं सन्तान आपकी ५ अप्रैल १९०८ को हुई। अब तक आपके दो पुत्र और पाँच लड़कियाँ हो चुकी थीं। किन्तु दूसरा पुत्र पाँच साल की आयु में ही मर गया था। इसलिए तीसरा पुत्र पाकर पिता का हृदय पुलकित हो गया। इस पुत्र का नाम उन्होंने जगजीवन राम रखा। नाम का बालक के भावी जीवन पर प्रभाव पड़ता है यह मान्यता पुरानी है। 'बाबू' जी की भी इस बात पर श्रद्धा होती थी। इसलिए नाम चुनने में उन्होंने बहुत सूझ-बूझ का परिचय दिया। वहाँ ईश्वर का नाम नहीं भूले वहाँ अपने मनोरथों को—एक पिता अपने पुत्र को इस दुनिया में [illegible] भी मूर्तरूप दिया। उनका विश्वास ठीक निकला और [illegible] हुई और श्री जग[illegible]जीवन राम ने अपने कार्य में [illegible] 'बाबू' जी ने उनका

गया है। उन्होंने एक दिन अपने छोटे पुत्र को अपने पास बुलाया। अत्यन्त स्नेह से अनेक बार पुत्र के सिर और पीठ पर हाथ फेरा। फिर गद्गद् कण्ठ से बोले 'एक को तो कुछ अंग्रेजी पढ़ा पाया परन्तु तुमको तो अभी हिन्दी भी नहीं पढ़ा पाया। अब मैं चला परन्तु जाओ तुम्हें किसी बात का हर्ज नहीं होगा तुम लाखों-लाख पास होते जाओगे। सन्त पिता का पितृभक्त पुत्र को दिया गया आशीर्वाद विफल नहीं हुआ। पुत्र भी आज अपनी कीर्ति अपनी योग्यता और अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता के इस आशीर्वाद को देता है।

जगजीवन राम के पिता की आयु लगभग ५ वर्ष की होगी जब उनका देहान्त हो गया। मृत्यु के समय आपको कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। लोगों को कल्पना भी नहीं थी कि आज आपका अन्तिम दिन है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने हुए थे। शिवनारायण संत-सम्प्रदाय के अनुसार संतपति (भगवान) की पूजा करने के निमित्त 'गादी' लगाने के लिए लोगों से कहा था। पर जब आपके भक्तों ने ही 'गादी' लगाने को अगले दिन के लिए टाल दिया तब आपने सास खींची और 'सत्लोक' को चले गए। पिता को आग देने का काम छोटे पुत्र ने किया। जगजीवन राम की अवस्था इस समय केवल छ वर्ष की थी। परन्तु इस पर भी दस दिनों तक आपने विधि-विधानों के अनुसार जीवन बिताया। नमक खाना छोड़ दिया घर से बाहर निकलना छोड़ दिया और किसी निषिद्ध चीज का आग्रह नहीं किया। दसवें दिन श्राद्ध हुआ और एक व्रती के समान श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक आपने सब नियमों का पालन किया।

योग्य पिता का वरद हस्त उठ गया। किन्तु उस स्थान की पूर्ति माता की एवं बड़े भाई ने कर दी। आपको कभी किसी चीज का अभाव नहीं होने दिया। आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे इसका बड़ा ख्याल रखा। घर का कोई काम जहाँ तक बनता था आपसे नहीं लिया जाता था। घर भर की इच्छा यही थी कि लड़का अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगावे। आपके गुरु कपिल मुनि तिवारी भी आपका विशेष रूप से ख्याल रखते थे। गुरु-कृपा होने से आपको पढ़ाई में किसी किस्म का विघ्न नहीं आया। पढ़ने पर आप भी खूब ध्यान रखते थे। पढ़ा पाठ याद कर लेने के बाद ही घर से खेलने के लिए निकलते थे।

गुरु आपको प्यार भी करते थे। किन्तु एक दिन गुरु ने आपको पीट दिया एक लड़के से आपका झगड़ा हो गया था। उसने आपको मारा और जवाब में आपने उसको मारा। वह सह न सका और जोर से चिल्लाया। गुरु जी ने समझा शरारत इन्हीं की है और न पूछा-ताछा और बेंत जड़ दिया। बालक स्वाभिमानी था। उसने हठ पकड़ लिया कि अब वह इस पाठशाला में न पढ़ेगा। स्कूल में आधी छुट्टी होने के बाद वे एक बाग में चले गए। वहाँ एक मोटी लकड़ी तोड़ी और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। आपका मन प्रतिहिंसा की भावना से उद्दीप्त था। आपका विचार था कि जो

कोई यहाँ आवेगा और पाठशाला चलने के लिए कहेगा उसकी इसी लाठी से मरम्मत करूँगा। खाने की छुट्टी समाप्त होने पर सब लड़के तो पाठशाला आ गए पर आप नहीं पहुँचे। आपकी ढूँढ शुरू हुई। लड़के घर भेजे गए और वे वापस लौटकर खबर लाए कि वहाँ आप नहीं हैं। अब आपकी खोज और जोर-शोर से शुरू हुई। कुछ लड़के आपको खोजते हुए बाग में पहुँचे। वे यह देखकर हैरान रह गये कि आप एक मोटी लकड़ी लेकर पेड़ पर बैठे हुए हैं। लड़के उनके इस उग्र रूप को देखकर डर गये। पहले तो आप पेड़ से उतरने और पाठशाला जाने को राजी नहीं हुए। आपके साथियों ने बहुत समझाया बुझाया, फलतः आप नीचे उतर आये और पाठशाला पहुँचे। वहाँ गुरु के पाँव छुए और कहा कि गुरु जी बिना इस पाठशाला में अब न नहीं पढ़ूँगा। लड़के का हठ यहाँ तक पहुँचेगा इसका गुरु जी को ध्यान न था। इनकी माँ भी यह कह चुकी थी कि उनका लड़का अब इस पाठशाला में नहीं पढ़ेगा। परन्तु गुरु जी भी मानने वाले न थे। वे घर पहुँचे। उन्होंने इनकी माँ को विश्वास दिलाया कि इस प्रकार की घटना फिर न होगी। इसके साथ बात समाप्त हो गई।

इनके चरित्र पर इनकी माता जी का गहरा प्रभाव पड़ा है। भाई तो कलकत्ते रहते थे। इनकी पढ़ाई और चरित्र का ध्यान रखना तो माता जी पर था। उन्होंने ही इन्हें पढ़ाया और योग्य बनाया। यद्यपि वह पढ़ी लिखी नहीं हैं पर बहुत धार्मिक और पूजा-पाठ व्रत नियम करने वाली हैं। शायद ही कोई व्रत छोड़ती हों। सैकड़ों भजन प्रभाती उन्हें कण्ठस्थ हैं। रामायण आदि धर्मग्रन्थों के बहुत से अंश उन्हें स्मरण हैं। बचपन में आपको घी-गुड़ का बड़ा चाव था। चना घी और गुड़ बड़े चाव से खाते थे। सिकहर पर टँगी दही की हँड़िया के ऊपर से आप माँ की आँख बचाकर मलाई निकाल लेते थे। मलाई भी इतनी सफाई से उतारते थे कि किसी को आप पर संदेह ही नहीं होता था। माँ यही समझती थी कि रोज चूहा खा जाता है। एक दिन जब खुद आपने यह भेद खोला तब सब लोग हँस-हँस कर लोट-पोट हो गए। आपके शौक के खेल थे— पतंग उड़ाना कबड्डी और चीका खेलना। पढ़ने के समान खेलने में भी आप अपने साथियों में तेज थे।

धर्म के प्रति रुचि आपको अपने पिता से बचपन में ही मिली थी। छोटी अवस्था में ही आपको ईश-प्रार्थना भजन दोहे आदि कण्ठस्थ करा दिए गए थे। जब पढ़ने लगे तब रामायण हनुमान-चालीसा दान-लीला आदि भी आपको याद कराया गया। हनुमान चालीसा का तो आप रोज प्रातः स्नान के बाद पाठ करते थे। रविवार को रामायण का गान करते थे और मुहल्ले के लोग जमा हो और उनको सुनते। जन-सेवा की भावना उसी समय से आपके हृदय में अंकुरित है। बाल बाल आपको बहुत प्यार करते थे। उनका काम भी आप कर देते थे। उनकी चिट्ठी पत्री लिखने से कभी आपने इन्कार नहीं किया। अपनी बिरादरी के लोग आपको मानते ही थे किन्तु दूसरे भी आपको

एक होनहार बालक समझ कर प्यार करते थे ।

एक दिन शाम को आप चौका खेल रहे थे । खेलते-खेलते आपका पाँव अनजाने कुत्ते पर पड़ गया । कुत्ते ने बदले में उछल कर आपकी ओर से काट लिया । दाँत गहरे लगे थे । खून की धारा फूट पड़ी । पर कुत्ता जहरीला नहीं था अतः विशेष चिन्ता की कोई बात नहीं थी । परन्तु विपत्ति कभी अकेली नहीं आती । आपके घर के पीछे एक बरसाती नाला बहता है । वर्षा-ऋतु में यह नाला भरकर बहता है । नाला अधिक चौड़ा नहीं, किन्तु पानी का प्रवाह तेज होता है । आप अपने एक मित्र के साथ नाले में नहाने गए । बरसात के दिन थे । नाला चढ़ा हुआ था । दोनों साथी निश्शंक होकर पानी में कूद पड़े । तैरना दोनों में से कोई नहीं जानता था । तेज धारा का एक प्रबल वेग आया और दोनों बह गए । साथी तो हाथ-पैर मारकर बाहर निकल आया । सन्ध्या का समय था । कोई पास न था । आपके लिए निकलना कठिन हो गया । साथी भी कोई उपाय आपको बाहर निकालने के लिए नहीं सोच सका ।

अकस्मात् उसी समय सुअर चराती हुई एक मुसहरिन निकल आई । उसने आपकी हालत देखी और झट से अपने हाथ की लकड़ी आपकी ओर बढ़ा दी । लकड़ी का सिरा जब आपके हाथ में आ गया तब उसने आपको किनारे पर खींच लिया । आपकी माँ इस घटना को कभी नहीं भूली । आपकी जान बचाने वाली मुसहरिन को भी कभी नहीं भुलाया गया । यह आपका दूसरा जन्म था । इस जन्म की दात्री थी मुसहरिन फिर उसको कैसे भुलाया जाता ?

पाँच की परीक्षा समाप्त कर आप आरा में जाकर पढ़ने लगे । यहाँ के मिडिल स्कूल और उसके बाद हाई स्कूल में आपने अपना नाम लिखवाया । उस समय अछूत विद्यार्थियों के लिए कोई सुविधा नहीं प्राप्त थी । अछूत होने के नाते नहीं बल्कि अपनी योग्यता के कारण आपने अपनी फीस माफ करवा ली ।

जब आप ग्यारह साल के थे तभी आपका सोनपुरा गाँव के श्री मुसलाल की लड़की से पहला विवाह हुआ । सात साल बाद आपका गौना हुआ । १८–१९ वर्ष की आयु में आप पर पत्नी का भार आ गया । किन्तु इससे आपकी पढ़ाई रुकी नहीं । बल्कि इससे आपको पढ़ाई में और बल मिला । आप उच्च शिक्षा पा सके इसका श्रेय आपकी पहली साध्वी पत्नी को ही है । वह इतनी पति-परायणा थी कि एक बार आप म्युनिसिपल-चुनाव में आरा ही रह गए और रात को भी घर न आए और पत्नी ने आपकी प्रतीक्षा में जमीन पर बैठे-बैठे सारी रात गुजार दी । किन्तु सात साल बाद आपकी पहली पत्नी का निस्सन्तान अवस्था में ही देहान्त हो गया । १९३५ में आपका दूसरा विवाह कानपुर में श्री इन्द्राणी देवी से हुआ ।

बाल्यावस्था से ही आप साहसी हैं । आपके साहस की भी एक बार कड़ी परीक्षा

हुई। १९२१ में आप पहली बार कलकत्ता गए। इस समय आप युवावस्था में पग रख चुके थे। वहां एक मास रहकर कलकत्ता में भ्रमण किया। वहां रहते हुए ही आपने शिवनारायण सम्प्रदाय के एक गुरु से रविदास पंथ की दीक्षा ली। कलकत्ते से जब आप वापस लौटने लगे तब आपको बड़े भाई ने ९ रुपये के नोट दिए और कहा इसको अपने पास रखो और जब अत्यन्त आवश्यकता पड़े तब इसमें से खर्च करना। घर आने पर आपने उसमें से २ रुपये ले लिए और शेष को रजत मुद्राओं में बदल कर हाँडी में बाँधकर बैठकखाने के कमरे के अन्दर जमीन में गाड़ दिया। एक मास बाद अचानक गाँव के अन्दर भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ भी आधी रात के समय आई। जब आपकी नींद खुली उस समय दरवाजे तक बाढ़ का पानी आ चुका था। मुहल्ले वालों की सहायता से सामान निकालने और सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने में सफल हुए। पानी बराबर बढ़ रहा था। सबके सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के बाद आपको जमीन में गड़े रुपयों का स्मरण आया। पानी उस समय बहुत बढ़ आया था। पर आपने हिम्मत नहीं हारी। बाढ़ के बढ़ते पानी की परवाह न कर आप रुपया निकाल के लाये और वह अपनी माँ को सौंप दिया। आपके घर से निकलने के कुछ मिनट बाद मकान ढहकर गिर पड़ा। आधी रात के बाद पानी कम होने लगा। सुबह होने पर जब आपने अपने मकान की ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि वह भूमिसात हुआ पड़ा है। मकान के मलबे तक को पानी बहा ले गया था। इस समय आपके मन की कैसी अवस्था हुई होगी इसकी सहज में कल्पना की जा सकती है।

इस घटना के तीन साल बाद की बात है। १९२५ के मई महीने में महामना मालवीय जी आरा आए। वृहद् सार्वजनिक सभा में उनको अभिनन्दन पत्र दिया गया। उसको आपने पढ़ा था। महामना मालवीय जी इससे बहुत प्रसन्न हुए। आपको महामना मालवीय जी ने अपने पास बुलाया और कहा कि प्रवेशिका (ऐंट्रेन्स) परीक्षा पास कर हिन्दू-विश्व-विद्यालय में पढ़ने आना वहाँ पढ़ाई की सारी व्यवस्था हो जायगी। १९२६ में आपने प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। गणित में आपको सत प्रतिशत अंक मिले थे। इससे उत्साहित हो और महामना मालवीय जी के वचन को याद कर आप विश्वविद्यालय गए। १९२७ में वहाँ से आई एस सी पास किया। किन्तु वहाँ का वातावरण आपको संकुचित एवं संकीर्ण प्रतीत हुआ। पुनः आप कलकत्ता चले गए। वहाँ रहते हुए आपने १९३० में बी० एस सी० की परीक्षा पास की।

आपकी इच्छा नौकरी करने की नहीं थी। किन्तु भाई के आग्रह पर आपने आबकारी विभाग के इन्सपेक्टरी के लिए प्रार्थना-पत्र दे दिया। जिस दिन आपको वहाँ नौकरी पर जाना था उसी दिन आप अस्वस्थ हो गए। रोग बढ़ा और निमोनिया में बदल गया। इसमें कई सप्ताह लग गए और नया पद ग्रहण करने की तिथि टल गई। देशबन्धु दास अरविन्द घोष तथा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के समान इस घटना के कारण आपके जीवन

का प्रवाह भी बदल गया और अब आपने सब दिशाओं से मुख मोड़कर दलित जाति की सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग करने का निश्चय कर लिया।

छात्रावस्था में ही आप दलित जाति की सेवा में लग गये थे और आपने रविदास सभा का संगठन किया था। कांग्रेस के कार्यों में भी आप कुछ-कुछ हिस्सा लेने लगे। १९३२ में आप कलकत्ता से अपने गाँव आये हुए थे। इस समय गांधी जी ने अपना अनशन व्रत किया था और उसके बाद अछूतोद्धार आन्दोलन आरम्भ हुआ। अस्पृश्यता निवारण संघ (जो पीछे चलकर हरिजन सेवक-संघ के नाम में परिवर्तित हुआ) की स्थापना भी हो चुकी थी। बिहार में इस कार्य का सूत्रपात करने के लिए सूर्यपुरा के राजा श्री राधिकारमण प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक सभा हुई। सवर्ण हिन्दू अस्पृश्यता के कलंक को सर्वथा अन्त करने को उत्सुक थे। वे देख चुके थे कि 'मैकडानल्ड निर्णय' किस प्रकार इसकी आड़ लेकर हिन्दू समाज से लगभग एक चौथाई को काटकर अलग कर देना चाहता था। यदि गांधी जी यरवदा जेल के आम्र वृक्ष के नीचे अपने प्राणों की बाजी न लगा देते तो मैकडानल्ड-निर्णय देने वालों के मनोरथों के पूरा होने में क्या संदेह रह गया था। इस कारण हिन्दू इस कलंक को मिटाने के लिए कुछ न कुछ करने को व्यग्र थे। यह सभा पटना के अन्दर 'अंजुमन इस्लामिया हाल' में हुई थी। श्री जगजीवनराम को भी बुलाया गया था। कलकत्ते में रहने के कारण कलकत्ते और बंगाल के नेताओं में इनका परिचय तो था पर यह पहला अवसर था जब आप बिहार के प्रान्त भर के नेताओं के सामने आये और आपकी योग्यता और शक्ति तथा प्रभाव को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया। २५ वर्ष के युवक को सहसा इस प्रकार का सम्मान मिले तो उसकी क्या अवस्था होगी! आपने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। युवकोचित-व्यग्रता और आवेग आपके भाषण में था। राजेन्द्र बाबू आपकी तरफ आकृष्ट हुए, आपकी भावना की कद्र की गई। 'सर्वेण्ट्स आफ दी अन-टचेबुल सोसाइटी' के संचालन कर्त्ताओं ने आपकी सेवाओं से लाभ उठाया। यह संस्था 'बिहार हरिजन सेवक संघ' में विलीन हो गई और आप भी इसके एक मंत्री चुने गये। मंत्री को हैसियत से आप अपने काम में जुट गए। गाँवों में हरिजनों के लिए आपने कुएं खुदवाए। हरिजन बालकों के लिए पाठशालाओं की स्थापना की। आपको ६५) मासिक इस कार्य से मिलते थे। इसको भी आप इसी कार्य में लगा देते थे। १९३४ में भूकम्प आया। गांधी जी भी इस अवसर पर बिहार आए। आपने प्रथम बार इसी मौके पर गांधी जी के दर्शन किया और उस दौरे में बराबर गांधी जी के साथ रहे। इसी वर्ष आप रविदास महासभा के मुंगेर अधिवेशन के सभापति चुने गए। यश की सीढ़ियों पर आप उत्तरोत्तर चढ़ते जा रहे थे। किन्तु उस समय भी किसी की कल्पना इतनी दूर नहीं पहुँची थी कि आप एक दिन स्वाधीन भारत के मंत्री भी बनेंगे।

राजनीति ने भी युवक-हृदय को अपनी ओर खींचा। यहाँ एक बाधा भी थी।

कांग्रेस में सभी विचारों के व्यक्ति थे। सामाजिक विचारों में वहाँ भी रूढ़िवादी हैं। जाति-भेद वर्ण भेद का संकीर्ण विचार उनमें से भी अनेकों के मन में व्याप्त है। कट्टरता से युद्ध करते हुए उनसे भी युद्ध करना अनिवार्य है यह आपको पहले ही दिन पता चल गया। दूसरी ओर आपने देखा कि जहाँ तक नेता मंडल का प्रश्न है उससे आपका कोई मतभेद नहीं। वह सामाजिक उन्नति का पक्षपाती है। किन्तु वह समाज को छिन्न-भिन्न करके नहीं बल्कि समाज का हृदय और मन एवं उसके विचार बदल कर यह यह क्रान्ति करना चाहता है। जगजीवन राम की ठोस सत्य और वास्तविकता को देखने वाली बुद्धि को अपना मार्ग चुनने में देर न लगी। कांग्रेस के प्रति अविचल भक्ति एवं निष्ठा रखते हुए धार्मिक कट्टरता तथा सामाजिक विषमता और आर्थिक पराधीनता से किस प्रकार लड़ा जा सकता है इसका सरल मार्ग आपने ढूंढ लिया। यही कारण है कि दलितों की सेवा करते हुए भी आप कांग्रेस के चोटी के नेताओं के विश्वासपात्र बने रहे।

कानपुर १९३५ में अखिल भारतीय दलित जातीय नेताओं का एक विराट सम्मेलन हुआ। आप भी इसमें सम्मिलित हुए। यही नहीं आप इसके संयोजकों में से एक थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य था दलित जातियों की केवल एक संस्था स्थापित करना। किन्तु यह सम्मेलन सारे देश के लिए एक संगठन की नींव डालने में सफल न हो सका। राष्ट्रवादी हरिजनों ने अखिल भारतीय-दलित जाति-संघ (All India Deppressed Classes League) की स्थापना की। इस नए संगठन के आप प्रधान मंत्री चुने गये। इसी वर्ष इसकी बिहार शाखा के आप अध्यक्ष चुने गये। आपके स्फूर्तिमय एवं प्रेरणादायी नेतृत्व ने इस संगठन को बल तथा दृढ़ता प्रदान की। आपके स्वभाव के माधुर्य और आपकी लोक-संग्राहक वृत्ति ने देश-भर के कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने और इस संस्था को बलवान बनाने के लिए उनको इस कार्य में प्रवृत्त करने में सहायक हुई। इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में आपकी ही अध्यक्षता में हुआ और इसका उद्घाटन गांधी जी ने किया।

इण्डिया एक्ट १९३५ के अनुसार देश के अन्दर प्रान्तीय असेम्बलियों का चुनाव १९३७ में हुआ। कांग्रेस ने यह निर्वाचन-संग्राम लड़ने का निश्चय किया। हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए थे। श्री जगजीवनराम की कार्य-कुशलता इस समय देखने में आई। बिहार में हरिजनों के लिए सुरक्षित एक भी सीट कांग्रेस ने नहीं खोई। परन्तु आपकी इससे भी बड़ी तथा कठोर परीक्षा होनी अभी शेष थी। कांग्रेस ने सरकार की ओर से यह आश्वासन न मिलने तक कि गवर्नर दिन-प्रतिदिन तथा रोज मर्रा के शासन कार्यों में हस्तक्षेप न करेंगे मंत्रिमंडल बनाने और शासन सूत्र से इन्कार कर दिया। बिहार में सरकार ने कठपुतली मंत्रिमंडल बनाने का यत्न किया। श्री यूनुस मुख्य सचिव बनाए गए। इस मन्त्रिमंडल में आपको भी एक मन्त्री बनाने और कांग्रेस

पार्टी से आपको फोड़ने का यत्न किया गया । मन्त्रित्व के अतिरिक्त धन का प्रलोभन भी दिया गया और दबाव भी। लेकिन जिन लोगों ने श्री जगजीवनराम को समझाया, उनको इस व्यक्ति के दृढ़ चरित्र और उसकी गहरी राष्ट्र भक्ति का परिचय न था। उनका विचार था कि गाँव में पला समाज के अत्याचारों से त्रस्त समाज का एक शिक्षित तथा महत्वाकांक्षी युवक और नहीं तो प्रतिहिंसा की भावना से ही उनका साथ देगा और विदेशी शासन को मजबूत बनाने में सहायक होगा। किन्तु जगजीवनराम जो सन्त परम्परा और ईश्वर भक्ति की लोरियों में पला था—इस प्रबल लोभ के शिकार न हुए और उन्होंने देशद्रोह और समाजद्रोह करने से इन्कार कर दिया। गांधी जी सरदार पटेल राजेन्द्रप्रसाद आदि नेताओं ने उनकी इस दृढ़ता पर बधाई के संदेश भेजे।

कुछ दिनों बाद कांग्रेस मन्त्रिमंडल बने। आपको आपकी राष्ट्रभक्ति का पुरस्कार पार्लमेंटरी सेक्रेटरी की नियुक्ति के रूप में मिला। यदि आपकी आयु कम न होती और आप जेल हो आए होते तो आपके मन्त्री होने में कोई सन्देह नहीं था। विकास और शिक्षा विभाग के वे पार्लमेंटरी-सेक्रेटरी बनाए गए थे। आपने इस पद पर रहते हुए हरिजनों की स्थिति सुधारने की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया। स्कूलों और कालेजों में हरिजन छात्रों की फीस माफ कर दी गई। पुलिस में हरिजन लिये जाने लगे। हरिजनों को विद्याध्ययन में प्रवृत्त करने के लिए छात्र वृत्तियाँ दी गई। पार्लमेन्टरी सेक्रेटरी के नाते बिहार असेम्बली में आपने जो भाषण दिया उससे आपकी योग्यता की छाप सब पर बैठ गई। विरोधियों का निरुत्तर करने के लिए आप इस प्रकार तथ्यों तथा आंकड़ों को संजोते थे कि वे दंग रह जाते थे। आप कम बोलते थे सप्रमाण और साधार बोलते थे। इस समय का अनुभव आपको भविष्य में बड़ा लाभप्रद सिद्ध हुआ।

सितम्बर १९३९ में महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। भारत से सलाह लिये बगैर गवर्नमेंट ने भारत की ओर से युद्ध घोषणा कर दी। भारतीय जनता युद्ध से अपने को अलिप्त रखना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस युद्ध में सहयोग देने के लिए तैयार थी यदि वह तत्काल देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना स्वीकार कर ले। ब्रिटिश सरकार का जवाब नकारात्मक था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया और देश के सारे प्रान्तों में आर्डीनेन्स-राज्य या गवर्नर-राज्य स्थापित हो गया। आपने भी कांग्रेस का आदेश सिर-माथे पर रखा। शासन भार से मुक्त होने पर आप बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के मंत्री बहुमत से चुने गये और १९४६ तक इस पद पर रहे। १९४० में गांधी जी ने वैयक्तिक सत्याग्रह आरम्भ किया। आप भी इसमें सम्मिलित हुए। इस समय आपकी पत्नी की गोद में ढाई वर्ष का पुत्र था। किन्तु आपने स्वातन्त्र्य-युद्ध से इस समय मुँह मोड़ना कायरता माना। यह आपकी पहली जेल यात्रा थी। सितम्बर १९४१ में जेल से छुटकारा होने पर कांग्रेस तथा दलित-जातियों के संगठन कार्य में जुट गए

अगस्त १९४२ आया। गांधी जी का 'भारत छोड़ो' आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। कांग्रेस महासमिति के बम्बई अधिवेशन में सम्मिलित होने के बाद आप पटना वापस आ रहे थे। मार्ग में ही गिरफ्तारियाँ हो रही थीं पर आप पटना पहुँच ही गये। दस दिन तक आन्दोलन का संचालन पटने में करते रहे। अमेरिकन सैनिकों के वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया और हजारी बाग जेल भेज दिये गये। अक्तूबर १९४३ में अत्यधिक रुग्णावस्था में आप जेल से छोड़ दिये गये। आपको इस समय चौबीसों घण्टे बुखार रहता था। गर्दन में भी दर्द रहता था। जुलाई १९४४ में इस बीमारी से मुक्त हो सके। स्वस्थ होने पर आपने भारत के विभिन्न प्रान्तों का दौरा किया। दलित जाति-संघ का अधिवेशन आपकी अध्यक्षता में कानपुर में होने वाला था। किन्तु सरकार इसके नाम से ही चौंक पड़ी और उसने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

स्व० श्री भूलाभाई देसाई के प्रयत्नों से कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रिहा कर दिए गए। यूरोप में युद्ध समाप्त हो चुका था। चर्चिल-गवर्नमेंट की जगह ब्रिटेन में एटली-गवर्नमेंट ने स्थान ले लिया था। फलतः भारत में लॉर्ड वेवल ने भी कांग्रेस और लीग के नेताओं को शिमला में बुलाया। कांग्रेस और लीग के बीच ५ ५ के आधार पर चल रही बातचीत को आपने शंका की दृष्टि से देखा। आप साम्प्रदायिकता से जहाँ समझौता करने के विरोधी थे वहाँ दलित जातियों की उपेक्षा कर मुस्लिम-लीग को कांग्रेस के समान मानने के भी विरोधी थे। इस समय आपने अपने विचारों को जिस दृढ़ता किन्तु विनम्रता एवं शालीनता के साथ प्रकट किया उसने आपके स्वतन्त्र व्यक्तित्व की छाप सब पर बिठा दी। पूना-पैक्ट के सम्बन्ध में गांधी जी द्वारा दिये गए एक वक्तव्य का भी आपने प्रकट रूप से विरोध किया। उनकी इस दृढ़ता ने सबको चकित कर दिया। उनका यह स्वतन्त्र रूप अभी तक अप्रकट ही था। इससे उनके सहयोगियों को विदित हो गया कि यह युवक सिद्धान्त को व्यक्ति से ऊंचा मानता है और वैयक्तिक श्रद्धा एवं भक्ति भी उसको सिद्धान्त के साथ समझौता करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। वे समय आने पर कठोर सत्य कहने से भी नहीं चूकते तथा सम्भावित कष्ट उनको उनके निर्दिष्ट पथ से डिगा भी नहीं सकते। रुपये की अपेक्षा भी कीर्ति और यश की इच्छा बलवती होती है और अनेक बार व्यक्ति इस विचार से अपने सिद्धान्तों का भी परित्याग कर देते हैं। किन्तु आपने बता दिया कि आप इस कोटि के व्यक्ति नहीं और अपने अंगीकृत सिद्धान्तों और आदर्शों के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने को सहर्ष प्रस्तुत हैं।

शिमला-वार्ता असफल रही। १९४६ में प्रान्तीय व केन्द्रीय असेम्बलियों का चुनाव हुआ। चुनाव में जहाँ अनेक प्रश्न थे वहाँ एक यह भी प्रश्न था कि क्या हरिजनों के हित की प्रवक्ता कांग्रेस है? डॉ० अम्बेडकर दलित जातियों का एक मात्र रक्षक अपने को मानते थे और उनका कहना था कि 'शैड्यूल्ड कास्ट फैडरेशन' ही भारत के हरिजनों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। कांग्रेस और दलित-जाति संघ ने उनके इस दावे

को चुनौती दी। श्री जगजीवन राम का नेतृत्व संगठन-कौशल तथा उनकी कार्यक्षमता खूब चमकी। १९४६ के निर्वाचन परिणाम ने डॉ० अम्बेडकर के दावे को प्रातःकाल के कोहरे के समान छिन्न-भिन्न कर दिया। ब्रिटिश मन्त्रिमंडल मिशन के पास अब कोई उपाय ऐसा शेष नहीं रहा था जिसके बल पर वह कह सकें कि हरिजनों के वास्तविक प्रतिनिधि डॉ अम्बेडकर हैं। दलित जातियों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था दलित जातीय संघ के सभापति की हैसियत से इन्हें 'कैबिनेट मिशन' के समक्ष बुलाया गया। इस समय पहली बार श्री जगजीवन राम दलित जातियों के अखिल भारतीय नेता के रूप में रंग-मंच पर आए। कांग्रेस को आपके रूप में डॉ अम्बेडकर का जवाब मिल गया। भारतीय राजनीति में यह घटना श्री जगजीवन राम के वैयक्तिक उत्कर्ष की दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैसे भी यह घटना महत्त्वपूर्ण है। भारतीय समाज का संगठन छिन्न-भिन्न होने से बच गया।

१९४६ में श्री नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने अन्तरिम मन्त्रिमंडल बनाया। 'कांग्रेस हाईकमांड' ने इस समय आपकी सेवाओं और योग्यता को भुलाया नहीं। यद्यपि आपकी उम्र इस समय केवल ३८ साल की थी फिर भी आपको श्रम-मंत्री बनाया गया। जब भारत के स्वाधीन होने पर पहला राष्ट्रीय मन्त्रिमंडल बनाया गया तो पुनः आप श्रममन्त्री बनाए गए। स्वाधीन भारत का प्रथम श्रममंत्री होने का गौरव इन्हें मिला। अप्रैल १९५२ तक आप इस पद पर रहे। इन छः वर्षों में श्रमिकों की अवस्था सुधारने उनको उनके अधिकार दिलाने और भारतीय श्रमिकों का विश्व के श्रमिकों के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिए आपने जिस तत्परता और लगन से काम किया उसकी प्रत्येक ने प्रशंसा की। पार्लियामेंट में कभी आप असावधान और अनुपस्थित नहीं पाए गए। अकेले आपने जितने बिल पार्लियामेंट में पेश किए, उतने शायद ही किसी अन्य मंत्री ने पेश किए, और पास कराए। इन के श्रम मन्त्रित्वकाल में जितने कानून बने शायद ही किसी देश में उतने कम समय में इतने कानून बने होंगे।

श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए आपने सर्वप्रथम 'फैक्टरी एक्ट' में महत्व पूर्ण संशोधन कराए और इसका क्षेत्र विस्तृत किया। न्यूनतम मजदूरी दने का कानून बनाया। यह खेतिहर मजदूरों पर भी लागू हो सके इसके लिए खेतीहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति की जाँच कराई। मिल-मालिकों और मजदूरों के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की। जिस कारखाने में ५० या इससे अधिक मजदूर काम करते हों उसमें श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनकी सुख-सुविधाओं की देखभाल के लिए 'वेलफेयर अफसर' की नियुक्ति करना आपने कानूनन आवश्यक कर दिया।

भारत का ध्येय 'पितृ राज्य' (वेलफेयर स्टेट) स्थापित करना है। इस दिशा में आपके प्रयत्न से पहला छोटा कदम रखा गया जब भारत के कुछ चुने हुए संगठित

उद्योगों में मजदूरों को 'एम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेन्स एक्ट' (सेवा नियुक्ति राज्य-बीमा अधिनियम) के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा का पहला लाभ प्राप्त हुआ। यह कानून अभी २५ लाख मजदूरों पर ही लागू हुआ है। इससे मजदूरों को स्वास्थ्य-बीमा प्रसूति एवं बीमारी के काल में सुरक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

आप कोई उद्योग किसी वर्ग विशेष की बपौती नहीं मानते। आपकी मान्यता है कि मिल पर मिल मालिकों के समान मजदूरों का भी अधिकार है और मिल तथा कारखाना दोनों के साझेदारी से चलाना चाहिए। 'दि इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट' (औद्योगिक विवाद अधिनियम) आपके इन विचारों का ही परिणाम है। इस कानून के अन्तर्गत मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों की एक कार्यसमिति बनाई जाती है जो कि मिल के अन्दर रोजमर्रा होने वाले झगड़ों का फैसला करती है। आपका सदा इस बात का प्रयत्न रहा है कि मिल-मालिक और मजदूर दोनों अपने सामने राष्ट्रीय हित को सदा रखें और अपने तुच्छ वैयक्तिक तथा सामूहिक हितों के ऊपर सार्वजनिक हित को स्थान दें। आप यह कभी नहीं चाहते कि औद्योगिक उत्पादन में औद्योगिक झगड़ों के कारण किसी प्रकार की बाधा आवे। इसलिए आपका सदा प्रयत्न रहा है कि दोनों सदा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें और दोनों मिलकर कार्य करें। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मजदूरों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन न मिले उनके बच्चे अशिक्षित रहें और वे अस्वास्थ्यकर अंधेरी कोठरियों में रहें। मजदूर स्वास्थ्यकर, हवादार, तथा सुन्दर घरों में रहें इसके लिए आपने बड़े पैमाने पर घर बनाने की योजना बनाई थी और इसके अनुसार लाखों को संख्या में घर बन चुके हैं और अभी बन रहे हैं।

चाय बागों में काम करने वाले मजदूरों के साथ भी 'न्यूनतम वेतन' का नियम लागू हो इसके लिए आपको भगीरथ प्रयत्न करना पड़ा। अन्त में आपका यह प्रयत्न उफल हुआ। १९४७ में आप प्रथम बार इस देश से बाहर गये और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम परिषद जेनेवा के अधिवेशन में भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में सम्मिलित हुए। १९५ में पुनः जेनेवा गए और इस बार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-परिषद ने आपको सर्व सम्मति से उस अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया। परिषद के अध्यक्ष के नाते आपने जो भाषण दिया था वह अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। खेतीहर मजदूरों की समस्या आपका एक प्रिय विषय रहा है। १९३७ से उनके संगठन की ओर आपका ध्यान है। इस अवसर पर भी आपने उनको भुलाया नहीं।

१९४७ में जब आप जनेवा से वापस लौट रहे थे तब आप भारत लौटते हुए बसरा में हवाई दुर्घटना की झपेट में आ गए। रात भर गरम-गरम बालू पर तड़पते और छटपटाते हुए पड़े रहे। दाहिना पैर टूटे हुए हवाई जहाज में फँस गया था। उसको निकालते हुए आपके पाँव की हड्डी टूट गयी। घुटने में लकड़ी का एक पैना चुभ गया था और वहाँ से खून की धारा बह रही थी। दो पसलियाँ टूट गयी थी। शरीर का ऐसा

कोई भाग न था जहाँ आपको चोट न लगी हो। इस पर भाड़ के समान गरम रेत बिछौना बनी हुई थी। प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं था। एक साथी की मेहरबानी से पानी की कुछ बूँदें मिल जाती थीं। मृत्यु जब सिर पर मँडरा रही थी जीवन का कुछ भरोसा नहीं था उस समय इन पानी की बूँदों ने ही अमृत का काम किया। आपका यश आपसे पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। जब बसरा के नागरिकों को ज्ञात हुआ कि हवाई दुर्घटना में भारत के श्रम-मंत्री भी हैं तो एक हजार मामरियों ने बसरा अस्पताल के अधिकारियों को उनके लिए अपना खून देने की तैयारी दिखाई। परन्तु इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। पन्द्रह दिन वहाँ रहे फिर दो मास विलिंगडन अस्पताल में रहे। टूटी टाँग जुड़ गई, पर यह हवाई-दुर्घटना आपके शरीर पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ गई और आज भी आपका दाहिना पैर पूरी तरह सीधा नहीं मुड़ सकता। आप और आपका परिवार स्वर्गीय डॉ० भार्गव को कभी नहीं भूल सकता जिनकी सेवा के फलस्वरूप आप पुनः देश सेवा के योग्य हो सके।

श्रमिकों के अधिकारों के वे एक सतर्क रक्षक और सावधान प्रहरी हैं। श्रमिकों को सरकारी सहायता की आवश्यकता क्यों है यह बताते हुए आपने लिखा था

'हम उन श्रमिकों को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते जो संगठित नहीं जो अपने पाँव पर खड़े होने के बारे में सोच भी नहीं सकते जो इस स्थिति में नहीं कि अपनी माँगें तथा शिकायतें मालिकों जनता तथा सरकार के सामने रख सकें। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार उनकी सहायता के लिए उनके पास जाय और जब उनके तथा उनके मालिकों के बीच कोई झगड़ा हो तब उनके पारिश्रमिक एवं उनके काम की अवस्थाओं को सुधारने का प्रयत्न करे। यदि मैं इसे और स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कहना होगा कि श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या बागों चाय-बागानों तथा इससे भी अधिक खेती के काम के लिए इस देश में लाखों गाँवों में नियुक्त है। अशिक्षा अज्ञान तथा कमजोरी के शिकार होने के कारण इन श्रमिकों की अवस्था अत्यन्त असन्तोषप्रद है।

पददलित और शोषित मानवता के अधिकारों के लिए निरन्तर संघर्ष करने वाले वे वीर योद्धा हैं। वे राजनीतिक स्वाधीनता पाकर प्रसन्न होने वाले नहीं। उनकी पुकार है

'यद्यपि १५ अगस्त के बाद हमें राजनीतिक आजादी मिल गई है तथापि अभी तक हमने आर्थिक आजादी नहीं प्राप्त की। वास्तविक आजादी है गरीबी तथा अशिक्षा को दूर करना तथा देश के लाखों मेहनतकशों को उचित सुख-सुविधाएँ, रहन सहन की स्वस्थ अवस्था तथा कम से कम दो वक्त पेट भर भोजन देने का आश्वासन देना। किन्तु यह तभी हो सकता है जबकि श्रम और पूँजी दोनों आपस में भाई-बहिन की तरह बर्ताव करें और पूँजी श्रम की कठिनाइयों को पहिचाने तथा थोड़े से लोगों के हाथों में धन का एकत्र होना रोका जाय।

मुट्ठी भर लोगों के हाथों में समाज का सारा धन एकत्रित न हो इसी विचार से आप उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने से के पक्षपाती हैं। नागरिक हवाई उड्डयन का राष्ट्रीयकरण इसी प्रेरणा से आप कर रहे हैं। संवाद व संचार के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए, यह भावना ही इसके राष्ट्रीयकरण की प्रेरक कारण है।

जो भूमि को जोतता है वह ही उस जमीन का मालिक होना चाहिए। आप इस सिद्धान्त को मानते हैं। इस प्रसंग में आपके निम्न विचार ध्यान देने योग्य हैं

'जिनकी जीविका का मुख्य साधन खेती करना न हो तथा जिन्हें खेतों में स्वयं काम करने में किसी प्रकार की झिझक हो उनके अधिकार में सूत भर भी जमीन न रहनी चाहिए। उन्हें भी जमीन से हटा देना चाहिए जो हल जोतने या खेत में अन्य काम करने में अपनी हेठी समझते हैं और अपनी प्रतिष्ठा और आत्माभिमान के विपरीत मानते हैं। जमीन की पैदावार बढ़ाने तथा मानवीय-श्रम का समुचित उपयोग करने के लिए सामूहिक या सहयोगिक खेती की व्यवस्था करने पर भी इस बात का ध्यान रखा जाय कि ऐसे व्यक्ति को जमीन न दी जाय जिसके परिवार के लिए खेती के सिवाय आजीविका के लिए और कोई धंधा हो। जिस परिवार की जीविका और पेट पालने का और कोई साधन तथा सहारा हो उसका जमीन पर किसी भी रूप और हालत में हक न होना चाहिए। जो खुद अपने हाथ से खेती करता हो बस उसका ही जमीन पर अधिकार हो। यह होने पर वहाँ जमीन पर आवश्यकता से अधिक लोगों को पालने का भार न होगा वहाँ खेत में परिश्रम करने वाला भी सुखी सम्पन्न एवं शानवान होगा।

केन्द्रीय मन्त्रि-मंडल में आप संचार-साधन विभाग के मंत्री हैं और मंत्रिमंडल में आप ही सबसे अल्प-वयस्क हैं। किन्तु अल्प समय में ही इन महान्-सफलताओं से आपके जीवनरथ के पहिये रुक नहीं गये हैं तीव्रगति से राष्ट्र-निर्माण के कठिन मार्ग पर गतिशील हैं। साधारणतया सफलताएं व्यक्ति को दम्भी बना देती हैं किन्तु आप इसके अपवाद हैं क्योंकि इन सफलताओं को जीवन की परम सिद्धि नहीं मानते। आपके लिए तो ये नव-मानव के निर्माण के स्वप्न को साकार करने वाली पूर्व-पीठिकाएं मात्र हैं। इसीलिए आज आप भी संघर्षशील और क्रियाशील हैं—इन्सानियत के महान् स्वप्न की पूर्ति के लिए।

नीति-शास्त्र के पाश्चात्य विद्वान मेकेन्जी का कहना है श्रेष्ठ चित्रकार वह है जो सुन्दर चित्र बना सकता है पर श्रेष्ठ मनुष्य वह नहीं जो उचित कार्य कर सकता है बल्कि वह है जो उचित कार्य करता है। श्रेष्ठता कोई योग्यता नहीं है बल्कि वह तो सतत क्रियाशीलता है।

श्री जगजीवनराम के अनवरत क्रियाशील व्यक्तित्व की श्रेष्ठता भी इसीलिए है कि वे भविष्य के निर्माण के लिए क्रियाशील वर्तमान के सजीव प्रतीक हैं।

श्री जगजीवन राम के स्फुट विचार

'जब तक भूल-चूक के पुराने पापों का नाम निशान मिटाकर नया अध्याय शुरू नहीं किया जाता तब तक कोई भी लोकप्रिय सरकार संतोष की सांस नहीं ले सकती ।

'मजदूर वर्ग में उन मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है जो कि शर्तों पर काम करते हैं। लेकिन हमारे लिए शर्म की बात है कि वही सबसे अधिक पद-दलित हैं उन्हीं पर काम का बोझ सबसे अधिक पड़ता है और उन्हें उस हद तक दबाया और शोषित किया जाता है जिसे कि आज के समाज में आदमी की प्रतिष्ठा के बिल्कुल खिलाफ समझा जाता है ।

'मजदूर को खेत और कारखानों में प्रतिष्ठित करने तथा समाज में उचित स्थान दिलाने में ही वास्तविक स्वराज्य है । आओ ! हम सब मिलकर उसके लिए कार्य करें और अपने स्वप्नों के भारत का निर्माण करें।

'साम्राज्यवादियों से सफल लड़ाई लड़ने वाले पण्डित नेहरू पूंजीपतियों से नहीं डरते। उन्होंने तो सिर्फ पूंजीपतियों को अपना सुधार करने के लिए समय दिया है।

'प्रजातन्त्र में किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बदलने का हक है लेकिन उसे यह हक नहीं कि वह अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मजदूरों को गुमराह करे ।

'समाजवाद और साम्यवाद के अलावा गांधीवाद भी है जिसने कि भारत को राजनीतिक आजादी दिलाई है और वह अब उसे आर्थिक समृद्धि भी दिलाएगा।

'भारत सरकार की श्रम नीति का लक्ष्य ऐसे भयहीन समाज का निर्माण करना है जहां कि मजदूर और पूंजीपति उद्योग में साझीदार समझे जा सकें। लाभ का विभाजन इसका लक्ष्य नहीं है बल्कि मनोवांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह साधन मात्र है ।

'उत्पादन को बढ़ाये बगैर न तो मुद्रा-स्फीति का मुकाबला जा सकता है और न जीवन मान को ऊंचा उठाया जा सकता है।

'श्रम विभाजन का सिद्धान्त तो औद्योगिक प्रजातन्त्र की शुरुआत है। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है ताकि हम सहकारी राष्ट्र-मण्डल बनाने की दिशा में अधिक प्रगति कर सकें क्योंकि यही तो हमारा ध्येय है।

'यदि सद्भावना से काम किया जाय तो सभी विवादों में समझौता हो सकता है। मजदूर सम्मेलन के पात्र हैं क्योंकि राजनीतिक दलों के गुमराह करने का प्रयत्न करने पर भी उनकी ओर से इस दिशा में अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है।

'यदि आदमी के पास पैसा है तो वह दुश्चरित्र नीच तथा स्वार्थी होने पर भी बड़ा आदमी समझा जाता है और आदर्श चरित्र होने पर भी एक मजदूर का आदर नहीं किया जाता। लेकिन श्रम के बिना पूँजी का कोई महत्व नहीं।

'किसान और मजदूर राष्ट्र की रीढ़ हैं।

वैयक्तिक सुधार गांधीवाद का सार है जिसे कि मार्क्सवाद स्वीकार नहीं करता।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बरती जाने वाली भारत की तटस्थता नीति का आधार गांधी जी के सिद्धान्त हैं। उन्हें अहिंसा शोषण गरीबी तथा अभाव के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए एवं इनसे भी ऊपर इन्हें सभी कीमत पर आजादी को कायम रखना चाहिए।

'पर्याप्त उत्पादन के बिना राष्ट्रीयकरण का कोई अर्थ नहीं। जब तक उत्पादन को बढ़ाया नहीं जाता मजदूरी बढ़ाना व्यर्थ है जिसका सिर्फ विनिमय का एक साधन मात्र है सम्पत्ति नहीं। मैं न तो साम्यवादी हूँ और न समाजवादी। मैं तो सिर्फ मनुष्य मात्र के गुणों पर विश्वास करता हूँ।

'मजदूर का मतलब केवल शारीरिक श्रम करने वालों से ही नहीं बल्कि दिमाग तथा कलम का काम करने वालों से भी है।

'यदि कीमत और दाम को स्थिर करना है तो मजूरी को भी स्थिर करना होगा।

'राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने का मात्र उपाय यह है कि इस दिशा में सहकारिता की भावना तथा राष्ट्रीय हित की दृष्टि से प्रयत्न किया जाय।

'सिर्फ आजादी प्राप्त करने से ही लोगों का उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता।

'यदि जीवन-मान को ऊपर नहीं उठाया गया तो हमारे देश की समृद्धि बढ़ नहीं सकती।

'अकेले राष्ट्रीयकरण से हमारे मसले हल नहीं होंगे राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ हमारे चरित्र में भी परिवर्तन आना जरूरी है तभी हम जन-साधारण की भलाई के लिए काम करना सीख सकेंगे जिससे कि फिर एक दूसरे को शोषण करने का अवसर ही न मिल सके।

'समता विहीन राष्ट्रीयकरण से हमें कोई लाभ नहीं होगा।

'सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी शोषण समाप्त होना चाहिए। क्योंकि उन सबका पारस्परिक सम्बन्ध है और वे एक दूसरे के साथ गुंथे हुए हैं।

'भारत सरकार ने प्रतिज्ञा की है कि वह श्रम के साथ न्याय करेगी। सरकार ने इस नीति का ऐलान किया है कि आजाद भारत में मेहनतकश अपनी मेहनत के फलों तथा उचित जीवन स्तर का उपभोग करेंगे।

श्रम को व्यापारिक वस्तु नहीं समझना चाहिए और उसे भी नौकरी में मान-वोचित अवस्थाओं को प्राप्त करने का हक है।

'उद्योग में साझीदार होने के कारण श्रम को साझीदारी से होने वाले लाभ को प्राप्त करने का हक है लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों को भी पहचानना चाहिए।

'गरीबी और अशिक्षा को दूर करने में तथा मेहनतकशों को उचित सुविधाएं, रहन-सहन की स्वस्थ अवस्थाएं एवं कम से कम दिन भर में दो बार पेट भर अन्न मुहय्या करने में ही वास्तविक आजादी है।

श्रम और पूंजी को आपस में जुड़वे भाइयों की तरह व्यवहार करना चाहिए।

'राष्ट्रीय आघात में हरेक खेत और कारखाना घरेलू मोर्चे का एक अंग है तथा हरेक मजदूर सिपाही है जिसकी जागरूकता मेहनत तथा ईमानदारी के काम पर ही ऊंची कीमतों तथा अभाव के खिलाफ लड़ी जाने वाली हमारी लड़ाई का भविष्य निर्भर है।

'जमीन उन्हीं की है जो कि उस पर काम कर सकते हैं।

'खेती-बाड़ी में होने वाले श्रम की स्थिति का दूसरे श्रम से मुकाबला करने के लिए भारत के रहने वाले को आकाश के पास जाने की जरूरत नहीं। खेती-बाड़ी में काम करने वाले मजदूर की हालत उन जानवरों जैसी या उनसे भी बदतर है जो कि खेतों में हल चलाते।

'ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को जो कि अपने कामगरों के लिए रहन-सहन का उचित स्तर मुहय्या नहीं करते जीवित रहने के लिए सामाजिक दावा करने का कोई हक नहीं।

'कामगर सिर्फ तभी योग्य और जिम्मेदार बन सकते हैं जबकि उन्हें उचित प्रशिक्षण अच्छी मजूरी रहने के लिए उपयुक्त घर तथा पर्याप्त सामाजिक सेवाएं प्रदान की जाय। असंतुष्ट श्रमपूर्ण व्यापार में लगाई गई सबसे बुरी पूंजी है।

'हमारे पास अनुशासन उपकरण संगठन तथा उस चीज की कमी है जिसे कि अमरीकी लोग 'किस तरह जानना चाहिए' कहते है ।

'एक बार हमारे अधिक उत्पादन कर लेने पर साधारण व्यक्ति को भी अवश्य अधिक मिलना चाहिए ।

'मजदूर वर्ग पूँजीपतियो का सबसे अच्छा ग्राहक है । इसलिए यह नारा होना चाहिए 'इस वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाओ ।

श्रम या प्रबन्ध की सहायता के बिना यह आशा नही की जा सकती कि सरकार खाली स्थान पर काम कर सकती है ।

'तब तक न तो युद्ध विराम सन्धि और न शान्ति ही हो सकती है जब तक कि विरोधी पक्ष किसी एक के लिए प्रयत्न न करें ।

आजादी और खुद की हुकूमत खुद आखिरी उद्देश्य नही है बल्कि वे एक सुखी राज्य की स्थापना मे प्रत्येक व्यक्ति का भय और अभाव से आजादी दिलाने के लिए साधन मात्र है ।

जब तक कि मकानों की अवस्था आज जैसी ही रहेगी तब तक न तो सरकार समाज में और न कोई मालिक उद्योग में शान्ति की आशा कर सकता है ।

'राजनीतिक हथियार के रूप में की जाने वाली हड़तालों की असफलता निश्चित है और सरकार अपनी सारी शक्ति और साधनो को लगाकर उनका मुकाबला करेगी ।

'कोई भी सरकार ऐसी कार्रवाइयो को सहने के लिए तैयार नही जो कि उसे चुनौती देनें तथा उसकी हुकूमत को उलटने के लिए की गई हो चाहे वह फिर श्रम के नाम पर कितनी ही प्रगतिशील क्यो न हो श्रम को ऐसे असामाजिक तत्वों की कुभा-वनाओं से अपने को बचाना चाहिए, चाहे वे तत्व फिर उसके अपने ही अन्दर के हो या बाहर के ।

'कम साल पहले कांग्रेसी नेताओं को किसी अंग्रेज की अपनी रसोई म खातिरदारी करने के बजाय जेल जाना ज्यादा आसान था ।

'हिन्दू धर्म तथा समाज के हित के लिए हिन्दू धर्म के कर्णधारों को चाहिए कि वे दुनिया को बतायें कि हिन्दू धर्म मे सकीर्णता नही है ।

'यदि समाज का कोई अंग पददलित तथा पिछड़ा हुआ हो तो न तो कोई राष्ट्र या समाज शक्तिशाली बन सकता है और न वह दूसरे राष्ट्रों के हमलों का ही मुकाबला कर सकता है ।

'हरिजन अपना धन और श्रम का किसा दूसरे हिन्दू न जैन धर्म नहीं करता और वह हिन्दू धर्म का परित्याग कर किसी अन्य धर्म न दीक्षित होने की किसी की भी सलाह को नहीं सुनेंगी।

'सना यह है जो मनशा का मन नाद न जन्मा है और वा यह देखना है कि जिस सिद्धान्त का वह समर्थन करता है वह अमल में भा सकता है या नहीं।

'कायरों को हर समाज में कुचला जाता किन्तु हरिजन कायर नहीं हैं।

'किसी एक खास पार्टी के भावनों का मजबूत करन तथा फैलाने के लिए गरीब तथा भोले भूख मजदूरों की भावना का फायदा उठाना एक अपराध है।

'हिन्दू धर्म अमर शाश्वत नवीनता वाला धर्म नहीं तो वह कुछ भी नहीं। अगर यह अपने को वर्तमान अवस्थाओं के अनुरूप नहीं बना सकता तो उसे जीवित रहने का कोई हक नहीं।

'उत्पादन और वितरण योजना के अनुसार होना चाहिए —इसे चाहे राष्ट्रीय करण कहो या जो आपकी इच्छा हो वह नाम दो।

'यदि हिन्दू समाज के ढाँचे के अन्तर्गत वाल्मीकि रैदासी या अन्य हरिजन नीच समझे जाते हैं तो यह उनका अपना दोष नहीं बल्कि ऊँची जाति वालों का दोष है। यह एक सामाजिक व्याधि है। यह उनके मुँह से नहीं छूती जिन्होंने गन्दा काम देने के लिए उन्हें नीच काम करने को मजबूर किया है।

'हरिजनों ने अपने मौजूदा पेशों को इसलिए नहीं अपनाया कि वे सभी कामों को अच्छा समझते थे बल्कि इसलिए अपनाया कि समाज ने उन्हें नीच पेशा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया।

'भंगियों की मुक्ति इसी में है कि ऐसे समाज का निर्माण किया जाय जिसमें कि कोई मेहतर न हो।

'आर्थिक कारणों से सामाजिक ढाँचा टूटता जा रहा है और उच्च जाति के लोगों ने नाई, धोबी तथा मोची के पेशे तक को संभालना शुरू कर दिया। किन्तु उनमें से किसी ने भी भंगी का पेशा अपनाने का साहस नहीं किया।

'अस्पृश्यता की समस्या आर्थिक है इसलिए उसे उसी विशेष दृष्टिकोण से सुलझाना चाहिए

'सिर्फ पिछड़े हुए लोग ही जिन्हें कि यातना में और असमानता तथा अन्धकार की मानवीय दासता में रखा जाता है महात्मा गांधी के राम-राज्य के स्वप्न को वास्तविक रूप दे सकते हैं।

'ऐसे वातावरण में जो कि पारस्परिक अविश्वास तथा सन्देह से भरा हुआ है और जहाँ कि विरोधी विचारधाराएँ एक दूसरे के खिलाफ निर्दयतापूर्वक शीत युद्ध चला रही हैं केवल भारत ही महात्मा गांधी के शान्ति और प्रेम के सन्देश के जरिए इस दुःखी दुनिया में अमन चैन की स्थापना कर सकता है।

'प्रान्तीयता का नवीनतम भूत जहाँ भी अपना भद्दा सिर उठाये उसे तुरन्त ही कुचल देना चाहिए।

प्रजातन्त्र को चाहे व्हाइट हाल में पेटेण्ट किया गया हो चाहे अमरीका में ताजा किया गया हो तथा चाहे रूस में विमूढ़ किया गया हो लेकिन वह एक विडम्बना ही समझा है—उसे वास्तविकता से कोई मतलब नहीं। किन्तु कांग्रेस ने जिस प्रजातन्त्र को अपनाया है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिसे हरा भरा किया है, वह भारत में शांति और समृद्धि के युग को लाने जा रहा है।

हमारी आजादी संसार की शान्ति के लिए गारण्टी होगी और हमारा नैतिक तथा भौतिक बल सर्वदा औचित्य तथा न्याय की ओर होगा।

'एशियावासी देश इस समय सार्वजनिक जागृति की जबरदस्त मंजिल से गुजर रहे हैं। उनमें से कोई भी अब किसी विदेशी शक्ति का केवल गुलाम रहना पसन्द नहीं करेगा।

'जन सुरक्षा अध्यादेश (Public Safety Ordinance) कर्मकारों की आजादी को रोकने के लिए नहीं बल्कि गुमराह कर्मकारों को रोकने के लिए बनाया गया है।

'ऐसे किसी भी उद्योग को जीवित रहने का हक नहीं जो कि अपने कामकरों को उचित मजूरी नहीं दे सकता।

'ऐसे संघों की स्थापना हो जो कि अपने सामने कोई और उद्देश्य न रखकर सिर्फ काम-करों के हित-साधन में लगे रहें जो केवल कामकरों के उचित दावों के लिए ही लड़ें और जिनके नेता जनता के लिए ही जीवित रहें और नेतागिरी के चोगे को सिर्फ अपने नाम के लिए ही न पहनें। इनके अलावा ध्वंस के संघ किसी तरह भी स्थापित न किये जायें।

'यदि विकासवाद और आदमी की स्वाभाविक अच्छाई के सिद्धान्त को न माना जाय और न वह चिरकाल तक स्थिर ही रहे तो फिर मानवता के लिए कोई आशा नहीं रह सकती।

'नैतिक मूल्य ही वास्तव में असली मूल्य हैं जो कि दुनिया में शान्ति स्थापित

कर सकते हैं और दुनिया को बचा सकते हैं ।

'ज्यों ही समाज में धन दौलत के प्रति आदर कम होता जायेगा और उसके स्थान को ईमानदारी और कठिन परिश्रम ग्रहण करेंगे पूंजीपति भी धन-दौलत का मोह छोड़ देंगे ।

'आजादी को प्राप्त करने का मौलिक उद्देश्य गरीबी को दूर करना था।

'हमारे लोगों ने असली आजादी का स्वाद नहीं लिया है क्योंकि वे आजादी को भोजन और वस्त्र के रूप में समझते हैं जो कि आज काफी तादाद में नहीं।

साम्यवादी संसार के लिए त्रास बन गये हैं।

'भारत की आर्थिक समस्या उत्पादन की समस्या पर आधारित है इसलिए यदि इसका कोई स्थायी हल निकालना है तो उत्पादन आगे बढ़ाना होगा।

'जो लोग स्वयं कुचले गये हैं वे जानते हैं कि जबरदस्ती कुचले जाने में कितने कष्ट होते हैं इसलिए हमें हिंसा के मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए ।

'मजदूरों की जनसंख्या में एकता कायम रहनी चाहिए और उनमें नौकर तथा मजदूर जोकि मजूरी कमाते हैं जैसे विभाजन नहीं होने देने चाहिए।

'यदि श्रम अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है तो उसे मजबूत आधार पर अपना मोर्चा कायम करना चाहिए।

'सरकार मजदूर जनता की दशा को सुधारना चाहती है लेकिन जब तक वे शराब पीने की आदत तथा उनकी उन्नति में बाधा देने वाली इसी प्रकार की अन्य आदतों को नहीं छोड़ते तब तक सिर्फ ऊँची मजूरी देने से कोई मतलब हल नहीं होगा।

'आधुनिक औद्योगिक विकास से हमारी पुरानी देहाती आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गई है। इस मौजूदा दुनिया में हमें पीछे की ओर नजर डालना तथा अपनी पुरानी प्रणाली से शिक्षा ग्रहण करना नहीं भूलना चाहिए।

आजादी ने हमारे राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया है।

'गांधी जी ने हमें विकास का मार्ग बताया है, क्रान्ति का मार्ग नहीं जो कि हिंसा में जाकर समाप्त होता है।

'जब तक हम मजदूर वर्ग को रहन-सहन के अच्छे स्तर तथा सम्मान के स्थान का जो कि उनके लिए उपयुक्त है विश्वास नहीं दिला देंगे तब तक हम संतोष के साथ नहीं बैठे रहेंगे।

'काम कठिन और ईमानदारी का काम काम और निरन्तर अधिक से अधिक काम यही आज भारत माता की मांग है।

'जो कि आवश्यक आर्थिक विकास के कार्यक्रम से भागता है या असंतोष अभिव्यक्त करता है अथवा किसी और तरीके से उसमें बाधा डालता है—वह चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे पूंजीपति और चाहे मजदूर—जन साधारण के मतानुसार वह देशद्रोही है।

कानून आखिर मानवीय सम्बन्धों को व्यवस्थित करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए उसका उपयोग इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए न कि उसके अपने लिए।

'बुनियादी महत्व के कारण खाद्यान्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों में सौदा पटाने का एक जरिया बन गया है इसलिए दूसरे देशों या इन सौदाबाजियों पर निर्भर रहने में तथा साथ ही अधिक मूल्य देने से हम अपनी आर्थिक आजादी की लेन-देन से कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे।

'जिस आन्तरिक शक्ति ने हरिजनों को सदियों तक सामाजिक अत्याचारों को सहन करने में समर्थ किया वही आन्तरिक शक्ति रोटी और न्याय के संघर्ष में उनकी सहायता करेगी।

'मैं कर्मकार संघों के स्वार्थपूर्ण नेतृत्व के खिलाफ हूं क्योंकि वह पूंजीवाद के खिलाफ अपने स्वार्थ या पार्टी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मकार संघ पर नियन्त्रण रखता है।

श्रम पूंजीवादियों के बिना भी काम चला सकता है किन्तु पूंजीवादी श्रम के बिना काम करने में असमर्थ है।

'अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए हड़ताल मजदूरों का अन्तिम हथियार है।

'हरिजन समस्या अब सामाजिक समस्या नहीं रही अब वह पूर्ण रूप से आर्थिक समस्या बन गयी है क्योंकि हमारी ज्यादातर जातियां गरीब हैं। इसलिए हमारा सबसे अधिक ध्यान गरीबी को दूर करने की ओर है।

'धर्म परिवर्तन की बात करना सर्वथा कायरपन की निशानी है, क्योंकि कायर कहीं भी जायगा वहीं दुत्कारा जायगा इसलिए हम कायर नहीं बनना चाहते।

'आज विचारों के साथ विचारों को ही लड़ना चाहिए।

नैतिक हथियार ऐसे व्यक्ति की रक्षा और उन्नति करता है जिसकी रचना इन शक्तियों का पुनर्निर्माण आवश्यक है। वह दूसरे के अधिकारों का आदर करना सिखाता है।

'विभिन्न देशों में इस सिद्धान्त के बारे में फैसला हो चुका है कि अन्तिम सत्ता जनता के ही हाथ में है और इस जमाने में किसी भी ऐसी चीज को जिसे कि जनता खुद पसन्द नहीं करती कोई भी ऊपर से उन पर जबरदस्ती नहीं लाद सकता।

'भारत में सबसे अधिक शोषित मानव समुदाय मजदूर वर्ग है। उन्हें सिर्फ पूंजीपति ही शोषित नहीं कर रहे बल्कि कुछ एक ऐसे कर्मकार संघ भी हैं जो कि अपने मनोनीत नेतृत्व के कारण उन लोगों का शोषण कर रहे हैं।

आज के दुःख-दर्दों के लिए लोगों को ही दोष देना चाहिए। वे चोरबाजारियों भ्रष्टाचारियों तथा शोषण करने वालों का जो कि खून चूसा करते हैं बहिष्कार करने के बजाय उनकी पूजा करते हैं और यहां तक कि वे उनके पास धार्मिक कामों के लिए पैसा मांगने भी जाते हैं।

'सवर्ण हिन्दुओं को हरिजनों का न्यायसंगत तथा उचित भाग उन्हें दे देना चाहिए। पारस्परिक विश्वास स्थापित करने तथा दोनों वर्गों को धीरे-धीरे एक करने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है।

'मार्क्सवाद तथा गांधीवाद स्वभावतः एक जैसे ही हैं। दोनों के बीच सिर्फ साधनों का भेद है। मार्क्स जहां साम्यवाद को बाहर से लागू करने में विश्वास करते थे वहां महात्मा गांधी आन्तरिक विकास के जरिए उसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे।

'भारत सरकार अपने राज्य क्षेत्र से बाहर की किसी तरह की भी राजभक्ति को या भारत को विदेशी शक्ति के साथ एक सूत्र में बांधने के लिए किए गए किसी प्रयत्न को सहन नहीं करेगी।

'हम मिलों और कारखानों को चलाने के लिए सिर्फ मालिकों को ही नहीं बदलना चाहते हैं कि उन पर मजदूरों का नियन्त्रण हो।

'महात्मा गांधी की शिक्षाएं संघर्ष के खिलाफ सहकारिता हिंसा के खिलाफ अहिंसा घृणा के खिलाफ प्रेम तथा ऐसे संकीर्ण स्थान में जहां पानी का भी प्रवेश न हो सके मानवता के विभाजन के खिलाफ भ्रातृत्व के स्थापन के सिद्धान्त पर आधारित थी।

महात्मा गांधी जैसा महानतम क्रान्तिकारी कभी भी पैदा नहीं हुआ राम राज्य के बारे में हम जो कुछ पौराणिक गाथा में पढ़ सकते हैं उससे कहीं अधिक गहरा अर्थ उनके रामराज्य की कल्पना में है।

'हमारे नौजवानों को अस्पष्ट तथा अकल्पनीय आदर्शों की छाया के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि अपने पास-पड़ोस के सुधारने में अपने को खपा देना चाहिए।

'आर्थिक तथा [सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार के क्रान्तिकारी परिवर्तन होने चाहिए कि जिससे मुट्ठी भर लोग मौज न उड़ा सकें जब कि करोड़ों लोग भूखे मर रहे हों।

'भूमि पट्टा प्रणाली के उत्पादकों के लिए जिनमें कि सबसे ज्यादा संख्या खेत मजदूरों की है किसी तरह का प्रलोभन नहीं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उत्पादन बढ़ाने से उनके खुद का कोई लाभ नहीं उन्हें तो सिर्फ निश्चित मजूरी ही मिलेगी।

'जो लोग उत्पादन कर सकते हैं उनके पास काफी जमीन नहीं और जिनके पास काफी जमीन है उनके पास जरिया या प्रवृत्ति कुछ भी नहीं।

श्रम के गौरव को अवश्यमेव स्वीकार करना चाहिए। जो लोग अपनी मेहनत के जोर पर रहते हैं वे समाज के बड़े उपयोगी सदस्य हैं उन्हें उनका उपयोगी भाग अवश्य मिलना चाहिए। यदि हिन्दु राष्ट्र को विप्लव से बचाना है तो उनके हितों की अवश्य रक्षा होनी चाहिए।

'एक उच्च कुल का अफसर जो कि मजदूरों को निकृष्ट मानव समझता है उनकी कभी भी ठीक सेवा नहीं कर सकता।

'मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि छात्र किस वाद का अनुसरण करते रहते हैं किन्तु क्या कोई ऐसा वाद है जो कि अनुशासन हीनता की वकालत करता हो। कोई भी 'वाद' मानमस के लिए आजादी की व्यवस्था नहीं करता।

बलपूर्वक आधीन करना मार्क्सवाद का ही तरीका है। महात्मा गांधी की योजना में इसके लिए कोई स्थान नहीं।

'जब समाज भ्रष्टाचार में रत लोगों को प्रोत्साहन दे रहा हो उस समय केवल सरकार से ही चोरबाजारी भ्रष्टाचार तथा दूसरी बुराइयों को हटाने की आशा करना बहुत बड़ी आशा करना है।

'मैं किसी भी व्यक्ति को २४ घण्टे तक अपने को भंगी की स्थिति में रखने के लिए चुनौती देता हूँ। मुझे सन्देह नहीं कि उस अवधि के बाद ऐसा व्यक्ति हिन्दू-समाज को छोड़ना ही अधिक पसन्द करेगा।

'भारत के पूंजीपतियों ने नफा कमाने के सिवा और कुछ नहीं सीखा है।

'मजदूरों को हड़ताल करने का हक है। लेकिन इस अधिकार को सभी समय या बिना सोचे विचारे उपयोग में लाना उचित नहीं।

'जो आजादी आज हमारे पास है उसे हम असली आजादी नहीं कह सकते क्योंकि यह केवल राजनीतिक आजादी है। जनता के लिए यह कोई मायने नहीं रखती।

जब तक कि उनके रहन-सहन के स्तर को ऊपर नहीं उठाया जाता उसकी गरीबी उचित भोजन वस्त्र तथा मकान की समस्याओं को हल नहीं किया जाता जब तक शोषण अन्याय तथा अत्याचार, चाहे किसी भी स्वरूप में हो भूतकाल की वस्तुएं नहीं बन जाते और जब तक कि उसे सब तरह की उन्नति के लिए सभी आवश्यक अवसर नहीं मिल जाते तब तक यह आजादी उनके लिए किसी काम की नहीं।

अब तक जो विधान बनाया गया है या बनाये जाने को है उसमें एक अल्प विराम तक को श्रम के खिलाफ सिद्ध नहीं किया जा सकता।

'हमारा उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना होना चाहिए जहाँ कि मजदूर और सिर्फ मजदूर ही सारे उद्योगो के प्रबन्धक हों और जहाँ श्रम को पूँजी के समान स्तर पर स्थापित किया जा सके।

'भारत सरकार का श्रम-विधान एक दिन औद्योगिक जनतन्त्र में विकसित हो जाएगा।

'हमारी सारी कार्यवाहियों में हमारी रहनुमाई करने वाला सिद्धान्त प्रेम और प्रोत्साहन है न कि हिंसा घृणा या भय।

'भारतीय संस्कृति आदमी को सब बातो से ऊपर रखती है और मानवीय व्यक्तित्व को सम्पूर्ण रूप से विकसित करने में विश्वास करती है।

'जब तक कांग्रेसी लोग उद्योग तथा खेत में काम करने वाले दोनों तरह के मजदूर समुदाय के साथ अपने सम्बन्धों को फिर से स्थापित तथा मजबूत नहीं कर लेते तब तक वे लाल धमकी का मुकाबला करने में असफल रहेंगे और आंख बन्द करके देश में अराजकता की शक्तियों को ही केवल छूट देने में सफल होंगे।

'मैं नैतिक पुनः अस्त्रीकरण में ही एसे विश्व के निर्माण का स्वप्न देखता हूँ जिसमें कि विचारधाराओं के बीच रुकावटें बिलकुल नष्ट हो गई हों।

अपने काम में स्त्रीत्व के सभी सुन्दर गुणों को लाने के लिए सभी तरह से त्यागी बनो।

'जातीयता का किला टूटता जा रहा है और वह गिरते ही जा रहा है। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मजदूर वर्ग की प्रगति का मतलब होगा कि कोई भी आदमी जो काम नहीं करता समाज में स्थान नहीं पाएगा।

'जितनी जल्दी हम रक्षा-कवचों को खतम करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है क्योंकि यह रक्षा-कवच हमें हमारी कमजोरियों की याद दिलाते हैं।

'जब तक कि पूर्ण समानता के भाव प्रबल नहीं हो जाते तब तक देश की आजादी व सुरक्षा खतरे में रहेगी।

'कोई भी सरकार शराब लाइसेंस देने से प्राप्त होने वाले कलंकित राजस्व को इकट्ठा करने में दिलचस्पी नहीं रखेगी क्योंकि यह लोगों के चरित्र को नष्ट करके एकत्र किया जाता है।

'शराबबन्दी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बच्चे अच्छा खाना खायेंगे अच्छे कपड़े पहनेंगे स्कूल जायेंगे तथा माता-पिता की ओर से उनकी उचित परवाह तथा देख-भाल होगी। उस भावी पीढ़ी के आचार तथा अबाध विकास के लिए ये प्राथमिक अवस्थाएं हैं जिसे कि विच्छिन्न परिवार तथा टूटी हड्डियों के झगड़ों व कष्टों के भूत डरा भी व्याप्त नहीं करते।

'मजदूर-वर्ग की अवस्थाओं व क्रान्तिकारी परिस्थिति के लिए केवल विधान की आवश्यकता नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से कुछ और करने की भी आवश्यकता है और वह यह कि लोगों के मनोविज्ञान में परिवर्तन लाया जाये।

'जो लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दृढ़ हैं और अपमान के जीवन से मृत्यु को अधिक पसन्द करते हैं वे जरूर सफल होंगे। जो लोग अच्छे उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं उनके सामने दुनिया में कोई भी शक्ति खड़ी नहीं रह सकती।

'वयस्क मताधिकार को ठीक तौर से अमल में लाकर ही पद-दलितों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है मैं नहीं चाहता कि हरिजन रक्षा-कवचों का सहारा लेकर अपनी प्रगति के लिए योजना बनाएं।

हरिजनों को अन्याय के सामने झुकने न टिकने के लिए दृढ़ रहना चाहिए। ऐसा रुख अपनाने के लिए उन्हें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े इसकी परवाह नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वे उन लोगों के खिलाफ जो कि उन पर अत्याचार करते हैं हिंसा का आश्रय लें। उनमें बदला लेने की भावना नहीं आनी चाहिए, किन्तु साथ ही वे अन्याय के सामने सिर भी न झुकाएं।

'जंजीर की मजबूती उसके सबसे कमजोर जोड़ पर ही निर्भर रहती है यदि जनता का कोई अंग कमजोर रहता है तो समाज और राष्ट्र सम्पूर्ण रूप में मजबूत नहीं हो सकते।

'यद्यपि भारत एक गरीब देश है और उसकी फौजी ताकत भी नाम मात्र की है फिर भी उसने संसार के ध्यान को जो अपनी ओर खींचा है उसका कारण है कि यही एक ऐसा देश है जिसने कि अहिंसा को अपनाया है और संसार को बताया है कि अच्छे उद्देश्य की पूर्ति अच्छे साधनों से ही हो सकती है।

'वैसे तो यह सभी लोगों का कर्त्तव्य है लेकिन उन लोगों का विशेष कर्त्तव्य है जो कि अच्छी स्थिति में हैं कि वे उस विचारधारा से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करें जो कि पूर्व या पश्चिम कहीं से भी छन कर आई हो।

'अपनी नई पाई हुई आजादी को सुरक्षित तथा दृढ़ करने एवं मातृभूमि को गौरव के उच्चतम शिखर पर उठाने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि अनिवार्य रूप से चरित्र का निर्माण किया जाय, व आत्मानुशासन आत्म-संयम तथा विस्तृत दृष्टिकोण को आश्रय दिया जाये।

'राष्ट्रीय-संस्थाएं भारी जबरदस्त स्मारक के प्रत्यक्ष निशान व हमारे इतिहास के स्पष्ट सीमाचिह्न हैं।

'रचनात्मक कार्यों में गांधी जी का वैचारिक महत्व देखते हुए, आज भी अपनी और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का विचार करते हुए कार्यक्रम बनाए जाते हैं।

'पिछड़ी जातियों का एक सदस्य जितनी गति के साथ अपनी जातियों की उन्नति करने के लिए आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहता है वह गति हमारी योजना में नहीं है। इस योजना में विषमता दूर नहीं हो सकेगी। यह बात सही है कि निर्धनता तो देश के और वर्गों में भी है। यह निर्धनता दूर होने पर पिछड़ी जातियों की दशा सुधरेगी लेकिन जो समुदाय सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है उस पर जब तक विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा दूसरे के मुकाबले में पीछे रह ही जायगा। पंचवर्षीय योजना में जितने पहलू से ध्यान देना चाहिए, नहीं दिया गया है।

'गांधी जी समाज और सत्ता का बहुत दूर तक विकेन्द्रीकरण करना चाहते थे। मार्क्स ऐसा मानते थे कि शोषक वर्ग की प्रचलित व्यवस्था में सुधार सम्भव नहीं है। इसलिए शोषित वर्ग का संगठन करके समाज के सभी पंचों को उसी वर्ग के हाथ में दे देना चाहिए।

'सभी वर्गों की उन्नति एक ही अनुपात में हो सबों के सुखी हो जाने के बाद भी आज की असमानता रह नहीं जायगी।

'गांधी और मार्क्स के लक्ष्य में अन्तर तो नहीं है लेकिन दोनों के मार्ग में मौलिक अंतर है। दोनों का हार्दिक प्रश्न एक ही सा था। गांधी जी वर्ग संघर्ष को बचाना चाहते थे शोषक वर्ग के हृदय को बदलना चाहते थे और शोषितों में आत्म सम्मान तथा आत्म-निर्भरता भर कर उनकी मानसिक स्थिति को बदलना चाहते थे।

'भारतीय संस्कृति में आज से नहीं बहुत पहले से भिन्न-भिन्न वर्गों और

सम्प्रदायों की संस्कृतियों का एक सुन्दर सामंजस्य रहा है। अत्यन्त उदार भावना विदेशी संस्कृतियो को अपनाने में भारतीय संस्कृति अग्रसर रही है। यदि उन अलग अलग बाहरी संस्कृतियों को भारतीय संस्कृति से पृथक करने का प्रयत्न किया जाय तो भारतीय संस्कृति की आत्मा का हनन करना होगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूलाधार इसकी शाश्वत आधुनिकता है। जब कभी इस सिद्धान्त को ओझल किया गया भारतीय संस्कृति व्यापी समझी गई और समाज में विशृंखलता पाई गई। मैं यह भी मानता हूँ कि किसी देश की संस्कृति धर्म के ऊपर ही शत-प्रतिशत नही निर्भर करती। एक ही देश में रहने वाले की संस्कृति एक-सी हो यह आवश्यक नही है। भाषा के कारण संस्कृति अलग हो जाय यह आवश्यक नही।

राष्ट्र भाषा हिन्दी तो होनी ही चाहिए। यदि एक मात्र हिन्दी का साम्राज्य हो जाय तो अच्छा है किन्तु यह सम्भव नही यदि हो भी तो कई शताब्दियां बीत जायेंगी।

मेरे मन और हृदय पर गांधी जी मालवीय जी राजेन्द्र बाबू जवाहरलाल नेहरू का काफी प्रभाव पड़ा है। मेरी माता जी के आत्म-संस्कार और उनकी उदात्त भावनाओं ने मुझे अपने बारे में सोचने समझने का अवसर दिया है।

'मुझे भगवान में पूर्ण विश्वास है। उनकी कृपालुता का आश्रय पकड़ने में अनिर्वचनीय सुखो की प्राप्ति हुई है। जब जब कोई परेशानी आई है उन्हीं की कृपा से दूर हुई है।

'उन अभागे लोगो को जो सदियों से न केवल अछूत कहे जाते रहे हैं बल्कि जिनके साथ अछूतपन का व्यवहार किया जाता रहा हमारे संविधान ने कुछ अधिकारों की गारंटी दी है। उनको कुछ सुविधाएं भी दी हैं। संविधान की भूमिका में ही स्थिति दर्जे और अवसर की समानता की गारन्टी दी गई है। राष्ट्र के सामुदायिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वे पिछड़े हुए है यह विचार करके उनको कुछ मूलभूत अधिकारो की भी गारंटी दो गई है। अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है और धर्म जाति नस्ल लिंग या जन्मस्थान के कारण भेदभाव करने का निषेध कर दिया गया है।

'कानून बनाने और उनको जारी करने में तथा उनके अनुसार व्यवहार कराने में सदा अन्तर हुआ करता है। मगर जब कानून का सम्बन्ध ऐसे लोगों के साथ हो जिनकी संख्या नगण्य न हो तथा जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हों तब उस पर अमल करने में देर लगाना खतरनाक होता है। परिगणित जातियों की संख्या ऐसी नही है जिसका कोई महत्व न हो। उनकी अन्तश्चेतना जाग उठी है। वे जिन अयोग्यताओं हीनताओं और घृणा के शिकार रहे तथा जिनके भार के नीचे दबे हुए है उनसे मुक्त होने के लिए वे छटपटा रहे हैं।

'खेतिहर मजदूर की समस्या का वास्तविक समाधान तो भूमि-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने पर ही होगा। इस विषय में सभी एकमत हैं कि भूमि व्यवस्था इस ढंग की होनी चाहिए जिसमें खेत जोतने वाले काश्तकार और राज्य के दर्मियान कोई भी दलाल न रहे और जमीन उन्हीं लोगों के साथ बन्दोबस्त की जाय जो 'असल में खत जोतने वाले' हैं। कठिनाई तो तब पैदा होती है जब यह तय करना पड़ता है कि 'असल में खत जोतने वाला' कौन है? प्रचलित व्याख्या के अनुसार कोई भी व्यक्ति 'असली जोतने वाला' जान लिया जा सकता है जो अपने एजेंट या मैनेजर द्वारा अपने से दिये गये औजारों से दास-प्रतिसत मजदूरों से ही खेती करा सकता है। विवेकपूर्ण भूमि-वितरण के प्रस्ताव के साथ म यह परिभाषा ही बड़े विरोध का कारण है। यदि 'जमीन जोतने वाला' का वही अर्थ माना जाय (जो कि वस्तुतः उसका अर्थ है) तो जमीन का पुनः वितरण बड़ा सरल हो जाय। विधवाओं, अपाहिजों और बीमारों को छोड़कर और कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक या सामाजिक या आर्थिक कारणों से हल जोतना और खेती से सम्बन्धित अन्य किसी कार्य को स्वयं और अपने परिवार के सभी नीरोग और सक्षम व्यक्तियों के साथ कम से कम मजदूरों की सहायता करने में अपनी हेठी समझता हो उसे असली खेत जोतने वाला न मानना चाहिए। जहाँ मजदूर लगाये भी जायें वहाँ जिन्स में या नकद मजदूरी देकर नहीं बल्कि मजदूर की मददगारबदली पर।

'भूमि का पुनर्वितरण केवल खेतिहर मजदूरों की अवस्था सुधारने और असल किसान' की माली हालत ठीक करने के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हित में भी यह आवश्यक है। अनाज की पैदावार बढ़ाने की कोई आयोजना इच्छित फल न देगी जब तक किसान खेत पर खुद मेहनत न करेगा। भाड़े के मजदूरों द्वारा खेती कराने और खुद खेती करने के बीच भारी अन्तर है। और पैदावार पहले की अपेक्षा दूसरे में पन्द्रह से बीस प्रतिशत तक अधिक होती है।

'किसान के खुद खेती करने से पैदावार हमेशा अधिक होती है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसको हम सभी उसी रूप में करना होगा। केवल जमींदारी खत्म करने तथा राज्य और किसान के बीच के लोगों के हटा देने भर से कृषि-समस्या हल न होगी और न कृषि-अशान्ति दूर होगी। भूमि-व्यवस्था फिर से नये रूप में बनानी होगी और इसके लिए दृढ़ संकल्प और साहस से काम करना होगा चाहे निहित स्वार्थ वालों का जो कि अधिकतर बड़े किसान हैं विरोध भी क्यों न सहना पड़े। इस समस्या का समाधान इसी मंत्र में है—'जमीन जोतने वालों की। जोतने वाला कौन?—जो हल चलाता है।

आर्थिक नीति चाहे वह जमीन के सम्बन्ध में हो या उद्योग के बारे में हो ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान सामाजिक-आर्थिक ढांचे को बदल दे और संविधान के अन्दर मौजूद निर्देशात्मक सिद्धान्तों द्वारा बनाये लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो। यह नीति केवल वही हो सकती है जो शोषण और विद्रोहन का अन्त कर दे असमानता एवं विषमता को दूर कर दे, और जो उत्पादक श्रम और समाज-सेवा में लगे हुए सब लोगों में यह भावना उत्पन्न करे कि वे राष्ट्र की सेवा के लिए काम कर रहे हैं किसी व्यक्ति-विशेष के लिए नहीं जो समाज में उनको उचित दर्जा और प्रतिष्ठा दे जिससे वे अपने श्रम चरित्र और व्यवहार के बल पर अधिकारी हैं और जो उनको इस बात का विश्वास दिलाता कि वे अपने श्रम के फल में से उचित भाग अवश्य पायेंगे। यह उसी समय संभव है जब खेतों कल-कारखानों और समाज-सेवा में श्रम करने वालों के प्रति समाज का विचार और दृष्टिकोण एवं मनोवृत्ति बदल जायें। वर्तमान सामाजिक-आर्थिक ढांचे को बदलने के लिए ठोस कार्रवाई करना और बड़ा कदम उठाना निहायत जरूरी है।

'परिगणित जातियों के लोगों के समाज द्वारा निर्धारित तथा कुछ परम्परागत पेशे हैं। अपना माल तैयार करने के आधुनिक तरीके और ढंग न जानने के कारण वे प्रतिद्वंद्विता में नहीं टिक सकते। उनका पेशा उनसे अधिक आगे बढ़े हुए लोगों ने छीन लिया है और इन्हें बेकार बना दिया है। लेकिन इन पर लादे हुए सामाजिक बोझ को जिम्मेदारी को भी इनसे पूरा करवाया ही जाता है। वे अपनी इच्छा के विरुद्ध ये काम करने को लाचार किये जाते हैं। यदि वे इनको छोड़ दें तो उनको अनेक तरह से डराया धमकाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ अदालतों ने भी उन घृणित और हेय कार्यों को उनके द्वारा छोड़ देने के विरुद्ध फैसले दिये हैं यद्यपि यह संविधान द्वारा दिये गये नागरिकता के अधिकारों के प्रतिकूल है। सतर्क और चौकस रहने के बावजूद वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर किये गये ऐसे हमलों को ये बेचारे नहीं रोक सकते क्योंकि इनके पास धन कहां है जिससे वे सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके विरुद्ध लड़ें।

'शिक्षा की दृष्टि से परिगणित जातियाँ बहुत पिछड़ी हुई हैं। यदि उनका रहन सहन और जीवन-मान ऊंचा करना है तो यह जरूरी है कि इस दिशा में उनको आवश्यक सुविधायें दी जायें। गरीबी और सामाजिक परिस्थितियों के कारण उनके लिए अपने बच्चों को शिक्षा देना सम्भव नहीं।

'गरीब हरिजन छात्र ऊंचे अधिकारियों के पास कहाँ तक दौड़ धूप और पैरवी कर सकते हैं। हरिजन भी आगे बढ़ सकें इसके लिए यह जरूरी है कि सभी सरकारों (केन्द्रीय और राज्य) के बजटों के अन्दर परिगणित जातियों के कार्यों को सभी

प्रकार की शिक्षा देने के लिए उदारतापूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी बहाने से उनके दाखिले को नहीं रोकना चाहिए। जहाँ जरूरी हो उनके लिए स्कूल कालिजों में स्थान सुरक्षित रखने चाहिए। होस्टल उनके लिए बढ़ाने चाहिए। टैक्निकल शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे शिक्षित हो जाने पर उनमें बेरोजगारी और बेकारी न फैले।

'यदि हरिजनों शिल्पियों देहातों के और गरीब लोगों के मकानों के स्थान की समस्या का हल कर दिया जाय तो बेगारी लगने की वारदातें भी बहुत कम हो जायें। आज हमारा ध्यान शहरों की गन्दी बस्तियों की ओर गया है लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हमारे अधिकांश गांवों में जहाँ हरिजनों की बस्ती होती है वह हिस्सा शहरों की गन्दी बस्तियों से कहीं अधिक गया गुजरा होता है।

'हरिजनों के और अन्य भूमिहीन वर्गों के घर देहातों में जिस जमीन पर बने हुए हैं उन जमीनों पर उनका मालिकाना हक हो जाना चाहिए। कानून के द्वारा इसकी व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिए। मद्रास सरकार ने एक योजना स्वीकृत की है जिसके द्वारा दलित वर्ग को मकान बनाने के लिए जमीन मुफ्त दी जाएगी। प्रत्येक परिवार को पानी वाली जमीन में ३ सेंट्स (करीब १५० वर्ग गज) और सूखी जमीन में ५ सैन्स (करीब २५० वर्ग गज) दिया जाता है। मार्च १९५ के अन्त तक लगभग ४९, परिवारों को घर बनाने के लिए जगह दी गई। मैसूर सरकार ने भी इसी प्रकार की कार्रवाई की है। अन्य प्रदेशों की सरकारों को भी एसा प्रबन्ध जल्द करना चाहिए।

'परिगणित जातियों के अन्दर एक दल ऐसा भी है जो मानता है कि उनकी वर्तमान शोचनीय हालत का मूल कारण उनका हिन्दू धर्म में होना ही है। उनका ख्याल है कि ज्यों ही वे हिन्दू धर्म एवं समाज के घेरे से निकल जायेंगे त्योंही वे अछूत न रहेंगे एवं उनकी सामाजिक और आर्थिक अयोग्यताएँ दूर हो जायगी। इस विचार का मैंने कभी समर्थन नहीं किया और परिगणित जातियों द्वारा सामूहिक धर्म-परिवर्तन के विचार का सदा प्रतिरोध किया है। भारतीय दलित जातीय मंच की नीति भी यही रही है। यदि किसी आदमी को यह विश्वास हो जाता है कि वह जिस धर्म को स्वीकार करने जाता है वह उसके जन्म के धर्म से श्रेष्ठ है और वह यदि इस विश्वास से धर्म परिवर्तन करता है तो ऐसे धर्म-परिवर्तन के विरोध करने का कोई कारण नहीं। सामूहिक धर्म-परिवर्तन के मामले में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता और इस प्रकार के सामूहिक धर्म-परिवर्तन की भावना का मन्द और सर्वथा विरोध करना चाहिए।

'लौकिक लाभ के लिए अथवा कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए धर्म-परि

वर्तन को कमजोरी और कायरता का चिह्न माना जाता है। मैं आज भी ऐसा मानता हूँ कि हिन्दू धर्म के सच्चे स्वरूप के ऊपर जितने कलुषित आवरण चढ़ा दिये गये हैं उनको हटाकर हिन्दू धर्म का सुधार करके उसको अपने गौरवपूर्ण स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। वर्णव्यवस्था और जाति-पाँति का जल्दी से जल्दी अन्त होना चाहिए। ऐसी बातों में राज्य की सहायता कानून की मदद सदा लाभप्रद होती है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सरकार को हस्तक्षेप न करना चाहिए। समाज के अन्दर जीवन के नैतिक मानदंड को ऊँचा रखने और समाज सुधार के कार्यों में सदा राज्य ने हस्तक्षेप किया है और राजदण्ड बरता है। किसी भी स्मृति को देख लीजिए, उसमें आपको इसके बहुत प्रमाण मिल जायेंगे। जातियों और वर्णों को मिटाने में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। जाति प्रथा को मिटाने के लिए हमें तो कमर कस कर जिहाद बोल ही देना है।

आज अपने मार्ग में आई सब रुकावटों और बाधाओं को दूर करने में परिगणित जातियाँ भले ही समर्थ न हों किन्तु उनकी यह असहाय अवस्था बहुत देर तक या हमेशा न रहेगी। हरेक चीज की एक सीमा है हद है। जब किसी आदमी के धीरज पर बहुत मार डाला जाता है तो वह अधीर हो जाता है और प्रायः निराश हो जाता है। निराशा में आदमी कुछ भी कर सकता है। 'मरता क्या न करता' इसे नहीं भूलना चाहिए।

'न मालूम किस धर्मशास्त्र या आचार शास्त्र के अनुमोदन से इन वर्गों के साथ यह अमानुषिक बर्ताव किया जाता है। सदियों से उनकी उपेक्षा की जा रही है। मैं निराशावादी नहीं हूँ। आज भी मैं यह विश्वास करता हूँ कि इस विशाल देश के प्रत्येक भाग में इन लोगों के साथ न्यायपूर्ण बरताव किया जायगा और समाज इस स्थिति को सुधारने का हर तरह से प्रयत्न करेगा।

'सरकार ने देश के सामने आई अनेक कठिनाइयों और समस्याओं का सफलता पूर्वक सामना किया है। नवीन भारत के निर्माण का यही आधार है कि नर-नारी के बीच कोई भेद न रहे वर्गहीन समाज की स्थापना हो जिसमें जाति धर्म और विश्वास के भेदाभेद का विचार किये बिना प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए समान अवसर मिले व सभी वर्गों के रहन-सहन सुख-सुविधा एवं जीवन-मान में तरक्की

हो। इस समय तक पहुँचने के प्रयत्न में परिगणित जातियों और अन्य शोषित वर्गों के प्रतिनिधियों का विशेष उत्तरदायित्व है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह समय दूर नहीं जब दलित और शोषित जातियों के लोग भी सभी क्षेत्रों में दूसरों के बराबर बन जायेंगे तथा वे देश की आर्थिक और नैतिक समृद्धि को बढ़ाने में अपना अंशदान करने में किसी से पीछे न रहेंगे।